संख्या:09/2025/255ई-2/तेरह-2025-01/2025-1888979

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 06 फरवरी, 2025

विषय:-आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-01/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 10-01-2025, पत्र संख्या:जी(कैम्प)-02/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 13-01-2025, पत्र संख्या:जी-03/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 17-01-2025, पत्र संख्या:जी-04/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 23-01-2025, पत्र संख्या:जी-05/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 28-01-2025 एवं पत्र संख्या:जी-06/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26, दिनांक 28-01-2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी नीति इस शासनादेश के प्रस्तर-5 के अनुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. <u>वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति का उद्देश्य एवं प्रयोजन:-</u>

मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त प्रत्येक वर्ष के लिये शासन द्वारा प्रदेश की आबकारी नीति जारी की जाती है। आबकारी नीति का उद्देश्य भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची संख्या-2 की प्रविष्टि संख्या: 8 एवं 51 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद-47 के अन्तर्गत दिये गये निदेशक तत्वों के दृष्टिगत् मादक वस्तुओं के निर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करना है। उक्त के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता पूर्ण मदिरा उपलब्ध कराये जाने, निवेश को प्रोत्साहन देने, राज्य को आत्मनिर्भर उत्पादक राज्य बनाने, कृषि उत्पादों को नष्ट होने से बचाते हुये किसानों की आय में वृद्धि करने और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने आदि उद्देश्य भी सम्मिलित हैं। इनमें आबकारी विभाग की भूमिका नियामक एवं विकासकर्ता के रूप में अपेक्षित होती है।

4. उल्लेखनीय है कि उक्त भूमिका के सम्यक निर्वहन के संदर्भ में अनुषांगिक रूप से निम्नांकित बिन्दु भी आबकारी नीति से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सम्बद्ध होते हैं:-

(क) कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान

गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार शीरा वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अनुमानित है।

प्रदेश के गन्ना किसानों को उनके उत्पाद पर सही मूल्य मिले इसके लिये वैल्यू चेन के प्रत्येक अंश की उत्पादकता बढ़ाया जाना एवं उसके मूल्य संवर्धन हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक है। आबकारी विभाग का प्रयास यह है कि चीनी निर्माण की प्रक्रिया में सह-उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे का सदुपयोग हो तथा इससे उत्पादित अल्कोहल का उपयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों, एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, सैनिटाइज़र एवं मदिरा निर्माण के लिये हो सके, जिससे प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिले और इन उत्पादों की उत्पादकता में वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का विकास हो तथा उससे जुड़े किसानों को समुचित मूल्य प्राप्त हो सके।

(ख) चीनी व अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके

वैल्यू चेन के अन्तर्गत कृषि उत्पादों की क्षति रोकने, उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं को समुचित गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है। चीनी मिलों द्वारा गन्ने से चीनी, बगास, शीरा, प्रेसमड आदि उत्पादित किया जाता हैं। प्रदेश की चीनी मिलों में सह-उत्पाद के रूप में उत्पादित शीरा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में अल्कोहल उद्योग के विकास की प्रबल संभावनायें विद्यमान हैं। वर्तमान में एथनाल उत्पादन एक अच्छा विकल्प है। पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के उद्देश्य से भी शीरे की क्षति अथवा इसकी गुणवत्ता में ह्रास को रोकते हुये इसका शीघ्रातिशीघ्र उपयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चीनी व अल्कोहल उद्योगों के आधुनिकीकरण व नवीनतम तकनीक की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि करते हुये औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) एथनॉल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार ईधंन में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोल में 20 प्रतिशत की सीमा तक एथनॉल को मिश्रित किया जाना अनुमन्य किया गया है। इससे पेट्रोल के आयात पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की आंशिक बचत होती है। इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में उत्पादित एथनॉल से प्रदेश में स्थित पेट्रोलियम डिपोज़ को एथनॉल की आपूर्ति के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में स्थित पेट्रोलियम डिपोज़ में मिश्रित किये जाने हेतु एथनॉल का निर्यात किया जाता है। इस क्रम में विगत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 180.42 करोड़ बल्क लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ था, जिसमें से 81.67 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज़ को आपूर्ति की गयी तथा 94.86 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर, 2024 तक कुल 80.99 करोड़ बल्क लीटर एथनॉल का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 56.57 करोड़ बल्क लीटर उत्तर प्रदेश के आयल डिपोज़ को आपूर्ति की गयी तथा 38.01 करोड़ बल्क लीटर का निर्यात अन्य राज्यों को किया गया है। केन्द्र सरकार के एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल(ई.बी.पी.) प्रोग्राम को सफल बनाने हेतु एथनॉल का उत्पादन करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा पावर अल्कोहल(एथनॉल) की उठान, निकासी की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है।

(घ) मदिरा उद्योग व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता संतुष्टि

मदिरा-उद्योग के व्यवसाय को प्रतिस्पर्धात्मक बनाये जाने हेतु आपूर्ति की व्यवस्था में सुधार करने, मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने तथा व्यवसाय से जुड़े अनुज्ञापियों को उनके द्वारा किये गये पूँजी-निवेश पर यथोचित लाभ प्रदान करने की दिशा में

विभाग का प्रयास है कि वैल्यू चेन में प्रत्येक स्तर पर उत्पादकता बढ़े तथा उपभोक्ताओं को उनकी पसन्द के अनुसार मदिरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्राप्त हो। विभाग का उद्देश्य यह भी है कि मदिरापान को जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में रखा जाय।

(ड.) प्रक्रियाओं का सरलीकरण

विभाग का यह प्रयास है कि वैल्यू चेन में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने, विदेशी एवं देशी निवेश को आकर्षित करने, सेवाओं को सुगम बनाने, अनुज्ञापनों के आवंटन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता रखने, मदिरा उद्योग, व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों पर नियंत्रण रखने, उपभोक्ताओं को उनकी रुचियों के अनुसार जानकारी प्रदान करने तथा जिम्मेदार एवं सुरक्षित सीमा में मदिरा सेवन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाये। इससे एक ओर जहाँ प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा वहीं दूसरी ओर समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रत्येक स्तर की जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलभ हो सकेगी। इससे ईज आफ डूइंग बिजनेस एवं गुड गवर्नेन्स को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग की समग्र कार्यप्रणाली को ऑनलाइन किये जाने हेतु अंगीकृत आई.ई.एस.सी.एम.एस. प्रणाली को पूर्णत: गो-लाइव कर दिया गया है तथा इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर भी संचालित हो गया है। आई.ई.एस.सी.एम.एस. के अंतर्गत मदिरा की प्रत्येक बोतल पर लगाये जाने वाले सेक्योरिटी फीचर्स युक्त एक्साइज़ एढेसिव लेबिल्स प्रत्येक आपूर्तक को उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा ट्रैक ऐण्ड ट्रेस प्रणाली का उपयोग कर मदिरा के संचरण पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। सभी अनुज्ञापनों पर पी.ओ.एस. मशीनों का प्रयोग किया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है।

5. वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति

5.1 <u>देशी मदिरा</u>

एसेप्टिक ब्रिक पैक के प्रयोग से मिलावट और तनुकरण की घटनाओं की संभावना नगण्य हो जाती हैं। यही कारण है कि विगत वर्षों में एसेप्टिक ब्रिक पैक में देशी मदिरा की आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के प्रयास किये गये हैं। प्रदेश की आसवनियों में अब एसेप्टिक ब्रिक पैक में देशी मदिरा भरे जाने के संसाधन एवं मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता हो चुकी है। अत: राजस्वहित की दृष्टि से वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति शतप्रतिशत एसेप्टिक ब्रिक पैक में किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

5.1.1 (क) देशी मदिरा की श्रेणियां

वर्ष 2024-25 में देशी मदिरा की तीव्रता एवं प्रकार के आधार पर प्रचलित श्रेणियों के स्थान पर वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा की निम्नांकित श्रेणियां रखी जायेंगी:-

(1) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 36 प्रतिशत वी./वी. (मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(2) शीरा से निर्मित ई.एन.ए. आधारित फूड कलर युक्त 25 प्रतिशत वी./वी. (सुवासित) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(ख) यू.पी.एम.एल. की श्रेणियां

वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित यू.पी.एम.एल. 36 प्रतिशत वी./वी. की बिक्री अत्यंत कम हो रही है। अत: वर्ष 2025-26 में यू.पी.एम.एल. 36 प्रतिशत वी./वी. की श्रेणी को समाप्त किया जाता है।

प्रदेश में आरक्षित शीरे की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये यू.पी.एम.एल. जिसकी बिक्री देशी मदिरा दुकानों से ही अनुमन्य होगी और जिसमें सन्निहित प्रतिफल शुल्क का समायोजन लाइसेंस फीस में किया जायेगा, की निम्नांकित श्रेणियां वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित की जाती हैं:-

(1) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 42.8 प्रतिशत वी./वी.(मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(2) ग्रेन ई.एन.ए. आधारित कैरामल युक्त 28 प्रतिशत वी./वी.(मसाला) 200 एम.एल. की धारिता की एसेप्टिक ब्रिक पैक में।

(ग) यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की उपर्युक्त श्रेणियों के लिये एसेप्टिक ब्रिक पैक के बार्डर के रंग अथवा रंग संयोजन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। बार्डर के रंग अथवा रंग संयोजन में परिवर्तन का अधिकार आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधानित किया जाता है।

5.1.2 देशी मदिरा दुकानों के वार्षिक एम.जी.क्यू./M.G.Q. (न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/Minimum Guaranteed Quantity) का निर्धारण

(i) वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तर-5.11(1) के अनुसार वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित एवं तर्कसंगत किये गये कुल वार्षिक एम.जी.क्यू. पर 10 प्रतिशत की वृद्धि कर देशी मदिरा दुकानों का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. 69.29 करोड़ बल्क लीटर पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के आधार पर वर्ष 2025-26 हेतु प्रदेश का प्रस्तावित न्यूनतम एम.जी.क्यू. 76.22 करोड़ बल्क लीटर 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में आगणित होता है।

(ii) उपरोक्तानुसार आगणित दुकानवार वार्षिक एम.जी.क्यू. के 12 से पूर्णतः विभाजित न हो सकने की स्थिति में इसे अगली संख्या तक, जो 12 से विभाज्य हो, बढ़ा कर वर्ष 2025-26 हेतु अंतिमीकृत एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जाएगा।

(iii) नवसृजित देशी मदिरा दुकानों (प्रस्तर-5.11.3(ग) के प्रकरणों को छोड़कर) का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम एम.जी.क्यू. से कम नहीं होगा तथा इस संबंध में प्रचलित मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पालन किया जायेगा ताकि किसी अन्य दुकान का क्षेत्राधिकार प्रभावित न हो एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. तर्कसंगत हो। यह एम.जी.क्यू. 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में होगा। जिले में नवसृजित दुकानों का एम.जी.क्यू. प्रस्तर-5.1.2(i) एवं 5.1.2(ii) द्वारा निर्धारित एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त होगा।

5.1.3 (क) देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस

वर्ष 2025-26 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस की व्यवस्था निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

1. देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस की दर ₹32 प्रति बल्क लीटर वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर निर्धारित की जाती है जो किसी दुकान के लिये ₹1000/- के गुणक मे न आगणित होने पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

2. मासिक एम.जी.क्यू. से अधिक देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस न लिये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3. नवसृजित देशी मदिरा दुकानों एवं मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों अथवा ई-टेण्डर से व्यवस्थित होने वाली दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस भी ₹32 प्रति ब.ली. वार्षिक एम.जी.क्यू. के आधार पर अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

4. मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली दुकानों के संबंध में देय बेसिक लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि के आधार पर समानुपातिक रूप से आगणित की जायेगी और अगले ₹1,000/- के गुणक में निर्धारित की जाएगी।

(ख) ऐसी देशी मदिरा की फुटकर दुकानों जिनके 3 कि.मी. की परिधि में प्रस्तर-5.2 में परिभाषित कोई कम्पोजिट शॉप अथवा मॉडल शॉप व्यवस्थित नहीं है, को राजस्वहित में बीयर की फुटकर बिक्री करने की अनुमति, अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर प्रदान की जायेगी। ऐसी देशी मदिरा दुकानों पर बीयर की बिक्री अनुमन्य किये जाने पर उनके सी.एल.-5सी अनुज्ञापन के स्थान पर उन्हें सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जनपद में सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन हेतु अर्ह देशी मदिरा दुकानों की सूची प्रकाशित करते हुये इच्छुक देशी मदिरा अनुज्ञापियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु ऑन लाइन व्यवस्था भी यथाशीघ्र विकसित की जायेगी। ऐसी दुकानों पर बीयर की बिक्री के संबंध में न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व/Minimum Guaranteed Annual Revenue(MGR) निर्धारित किया जायेगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-5.6.1 के अनुसार होगा। परन्तु यह न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, जनपद के बीयर के औसत न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व प्रति कम्पोजिट शॉप का 10 प्रतिशत होगा और इसे एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) कहा जायेगा जो जनपद में अतिरिक्त रूप से आरोपित होगा। बीयर की बिक्री की अनुमन्यता हेतु ऐसी दुकानों से अतिरिक्त लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-3) ली जायेगी जिसकी दर प्रस्तर-5.2.1(1) के अनुसार होगी और जिसे ₹ 1,000/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुये निर्धारित किया जायेगा। सी.एल.-5सीसी दुकानों पर बीयर का उपभोग अनुमन्य होगा जिसके लिये कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। सी.एल.-5सीसी दुकानों हेतु निर्धारित एम.जी.आर.(सी.एल.-बीयर) एवं लाइसेंस फीस-3 का लेखा जोखा प्रत्येक स्तर पर रखा जाना अनिवार्य होगा। सी.एल.-5सीसी दुकानों हेतु लाइसेंस फीस-3 के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रतिभूति भी नियमानुसार अतिरिक्त रूप से जमा करायी जायेगी। देशी मदिरा की प्रतिभूति की व्यवस्था यथावत रहेगी।

5.1.4 वर्ष 2024-25 में यू.पी.एम.एल. 36 प्रतिशत वी/वी की बिक्री एवं मांग अब तक नगण्य रही है अत: यू.पी.एम.एल. 36 प्रतिशत वी/वी श्रेणी को समाप्त करते हुये इसके स्थान पर वर्ष 2025-26 में यू.पी.एम.एल. 28 प्रतिशत वी/वी के 200 एम.एल. की एक नवीन श्रेणी भी लाये जाने का प्राविधान किया जाता है।

(क) वर्ष 2025-26 हेतु 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा के संदर्भ में प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर राजस्वहित में वर्ष 2024-25 में निर्धारित ₹ 254/- प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर ₹ 260/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(ख) 36 प्रतिशत तीव्रता की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. के अतिरिक्त अन्य तीव्रताओं की देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. हेतु प्रतिफल फीस की दर समानुपातिक रूप से निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	**देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. की श्रेणी, तीव्रता**	**वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस/लाइसेंस फीस की दर (रु. प्रति बल्क लीटर)**
1.	यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) कैरामल युक्त (मसाला) 42.8 प्रतिशत वी./वी.	309.15

2.	यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल.) कैरामल युक्त (मसाला) 28 प्रतिशत वी./वी. (200 एम.एल.)	202.25
3.	शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा कैरामल युक्त (मसाला) 36 प्रतिशत वी./वी.	260.00
4.	शीरा आधारित ई.एन.ए. से निर्मित देशी मदिरा फूड कलर युक्त (सुवासित) 25 प्रतिशत वी./वी.	180.60

देशी मदिरा दुकान की मासिक लाइसेंस फीस जो मासिक एम.जी.क्यू. में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य होगी, प्रतिमाह अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार आगणित मासिक एम.जी.क्यू. की निकासी में सन्निहित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य मासिक लाइसेंस फीस के समायोजन का अनुज्ञापी हकदार होगा। मासिक लाइसेंस फीस के उपरोक्तानुसार भुगतान या समायोजन में विफल रहने पर संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापी द्वारा मासिक एम.जी.क्यू. का पूर्ण रूप से उठान न किये जाने की स्थिति में अनुज्ञापी को, न उठाये गये एम.जी.क्यू. के समतुल्य 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता की देशी मदिरा के 200 एम.एल. की बोतलों की कुल संख्या की निकासी में सन्निहित कुल प्रतिफल शुल्क व कुल अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अन्य तीव्रताओं में उठान को 36 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता में परिवर्तित कर कुल उठान का आगणन किया जायेगा।

5.1.5 लाइसेंस फीस की देयता

(क) किसी माह में एम.जी.क्यू. से अधिक उठायी गयी देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क व अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का समायोजन अगले महीनों हेतु निर्धारित मासिक लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं होगा।

(ख) सी.एल.-5सीसी अनुज्ञापन प्राप्त दुकानों के संबंध में बीयर के न्यूनतम त्रैमासिक/मासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान के संबंध में उक्त उप प्रस्तर-(क) के प्राविधान के अतिरिक्त प्रस्तर-5.6.3 के प्राविधान भी लागू होंगे।

5.1.6 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क लिया जाना

वर्ष 2025-26 के लिये यू.पी.एम.एल. एवं देशी मदिरा की एम.आर.पी. ₹5/- के अगले गुणक में रखी जायेगी। आगणित एम.आर.पी. और ₹5/- के अगले गुणक में निर्धारित एम.आर.पी. के अंतर को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में वसूला जायेगा।

5.1.7 देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. का मूल्य निर्धारण

(1) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की समस्त श्रेणियों का अधिकतम फुटकर मूल्य **संलग्नक-1** के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(2) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की किसी श्रेणी की ई.डी.पी. मे उत्पादक/आसवक द्वारा उत्पादन एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मदों की धनराशि (उत्पादन मूल्य, लाभ, परिवहन व्यय, बारकोड एवं क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन व्यय, ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस, बाटलिंग फीस आदि) सम्मिलित होगी।

(3) देशी मदिरा एवं यू.पी.एम.एल. की ई.डी.पी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन मद में ₹0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार

शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा वित्तीय नियमों को दृष्टिगत् रखते हुए पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे। उक्त खाते मे उपलब्ध धनराशि का व्यय आबकारी विभाग के डिजिटलीकरण हेतु सेवा प्रदाताओं व परामर्शदाताओं व तकनीकी मैनपावर के भुगतान, विभागीय कम्पयुटरीकरण, आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण व आधुनिकीकरण आदि हेतु वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जायेगा।

(4) प्रत्येक आसवक/उत्पादक को अपने ब्राण्ड के लेबिल पर श्रेणी यथा देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. तथा तीव्रता और यथास्थिति सुवासित अथवा मसाला लिखना अनिवार्य होगा।

5.1.8 थोक अनुज्ञापनों से प्राप्त इंडेन्ट के सापेक्ष देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति की समय सीमा एवं विलम्ब की दशा में जुर्माना के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु निम्नांकित प्राविधान लागू होंगे:-

प्रत्येक देशी मदिरा उत्पादक आसवनी यह सुनिश्चित करेगी कि देशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति इण्डेण्ट प्राप्ति से 03 कार्य दिवस के भीतर हो जाय। विलम्ब की दशा में इण्डेण्ट में वांछित निकासी में सन्निहित राजस्व के 0.5 प्रतिशत की दर से आसवनी पर प्रतिदिन जुर्माना आरोपित होगा। यह जुर्माना सहायक आबकारी आयुक्त संबंधित आसवनी द्वारा आसवक से विलम्ब के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रत्येक सप्ताह आगणित किया जायेगा और विलम्ब पाये जाने पर आसवनी द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा की जायेगी।

यदि एसेप्टिक ब्रिक पैक की प्रतिदिन की अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक के इण्डेण्ट प्रस्तुत किये जाते हैं तब प्रतिदिन एसेप्टिक ब्रिक पैक की उत्पादन क्षमता से अधिक के प्रस्तुत इण्डेण्टों के सापेक्ष आपूर्ति में विलम्ब का आगणन नहीं किया जायेगा। विलम्ब के आगणन में इण्डेण्टों के वरीयता क्रम का संज्ञान अवश्य लिया जायेगा।

5.1.9 देशी मदिरा फुटकर दुकानों द्वारा किसी एक आसवनी के समस्त ब्राण्डों (समस्त सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 में उत्पादित) की मदिरा की निकासी अपने एम.जी.क्यू. के 85 प्रतिशत तक ही ली जायेगी। उपरोक्तानुसार एम.जी.क्यू. के उठान के उपरांत अधिक ली गयी निकासी पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। इस प्राविधान का पालन न करने पर एम.जी.क्यू. तक की निकासी में अनियमित रूप से ली गयी निकासी पर ₹10/- प्रति बल्क लीटर अतिरिक्त रूप से संबंधित अनुज्ञापी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य होगा। देशी मदिरा के प्रत्येक थोक अनुज्ञापन को भी उपरोक्त प्राविधान के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत होने पर आपूर्ति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

5.1.10 देशी मदिरा की निर्यात, आयात पास फीस

वर्ष 2024-25 की भॉति वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा की निर्यात पास फीस ₹10/- प्रति ए.एल. तथा आयात फीस ₹1/- प्रति ए.एल. यथावत रखी जाती है।

5.1.11 आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति

देशी मदिरा की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर से आयातित देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 में प्राविधानित व्यवस्था, वर्ष 2025-26 में यथावत रखी जाती है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत बी.डब्लू.सी.एल.-1 अनुज्ञापनों की स्वीकृति आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.1.12 देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु बाटलिंग फीस

उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. को बोतलों में भरने हेतु प्रदान किये जाने वाले सी.एल.बी.-1 एवं सी.एल.बी.-2 अनुज्ञापनों हेतु रुपया 2 लाख प्रति 50 लाख बोतल अथवा इसके किसी भाग के लिये लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस संगत नियमावली के अनुसार प्राविधानित है। उक्त प्राविधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रति बोतल बाटलिंग फीस भराई के समय ही ली जायेगी:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल.
1	सी.एल.बी.-1	04 पैसा प्रति 200 एम.एल.
2	सी.एल.बी.-2	06 पैसा प्रति 200 एम.एल.

5.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5 डीबी)

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफ.एल.-5डी दुकानें जहाँ देशी मदिरा, यू.पी.एम.एल. एवं बीयर को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार की मदिरा की फुटकर बिक्री अनुमन्य है, की संख्या 6,563 है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफ.एल.-5बी जहाँ केवल बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की फुटकर बिक्री अनुमन्य है, की संख्या 5,970 है। देश के कई अन्य प्रदेशों में समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों की व्यवस्था है। ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ कम्पोजिट दुकानों से देशी मदिरा की बिक्री भी अनुमन्य है। इस प्रकार दुकानों की संख्या में बिना वृद्धि के ही समस्त प्रकार की मदिरा के बिक्री केन्द्रों की संख्या में वृद्धि प्राप्त की गयी है और इसका राजस्वहित में सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में मॉडल शॉप (एफ.एल.-4ए) के रूप में पूर्व से ही कम्पोजिट दुकान के लगभग समान फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन विगत कई वर्षों से सफलता पूर्वक होता आया है जहाँ मदिरा उपभोग की अनुमति भी प्रदत्त होती है। अत: राजस्वहित में वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश में विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की फुटकर बिक्री हेतु कम्पोजिट दुकानों का गठन करते हुये इनका व्यवस्थापन कराया जायेगा। कम्पोजिट दुकानों के गठन, इनकी संख्या, इनकी लाइसेंस फीस, एम.जी.आर. आदि के निर्धारण एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में अग्रेतर सुसंगत प्रस्तरों में प्राविधान निर्धारित किये गये हैं।

5.2.1 विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की कम्पोजिट दुकानों का गठन तथा इनकी लाइसेंस फीस, प्रतिभूति, न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व (Minimum Guaranteed Annual Revenue), न्यूनतम प्रत्याभूत मासिक राजस्व (Minimum Guaranteed Monthly Revenue) एवं संबंधित दरों का निर्धारण

वित्तीय वर्ष 2025-26 में गतवर्ष 2024-25 में व्यवस्थित एफ.एल.-5डी एवं एफ.एल.-5बी दुकानों के स्थान पर विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. एवं समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. आदि की बिक्री हेतु कम्पोजिट शॉप का अनुज्ञापन एफ.एल.-5डीबी प्रदान किया जायेगा तथा इनका व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। उक्त दुकानों की लाइसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक/मासिक राजस्व का निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा:-

(1) प्रत्येक जनपद में व्यवस्थित समस्त एफ.एल.-5डी दुकानों के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व और कुल वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर जनपद में औसत वार्षिक लाइसेंस फीस प्रति ₹1,00,000/- न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व (जिसे लाइसेंस फीस की दर-1 कहा जायेगा) का आकलन किया जायेगा। उदाहरणार्थ किसी जनपद में व्यवस्थित एफ.एल.-5डी दुकानों की वर्ष

2024-25 की कुल लाइसेंस फीस "X" है और कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व "Y" है तब लाइसेंस फीस की दर-1, (X(रुपये में)/Y(रुपये में))*1,00,000 होगी जिसे ₹100/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुये जनपद की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस की दर-1 निर्धारित की जायेगी।

इसी प्रकार प्रदेश के प्रत्येक जनपद में व्यवस्थित समस्त एफ.एल.-5बी दुकानों के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व और कुल वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर जनपद में औसत वार्षिक लाइसेंस फीस प्रति ₹1,00,000/- न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व (जिसे लाइसेंस फीस की दर-2 कहा जायेगा) का आकलन किया जायेगा। उदाहरणार्थ किसी जनपद में व्यवस्थित एफ.एल.-5बी दुकानों की वर्ष 2024-25 की कुल लाइसेंस फीस "X" है और कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व "Y" है तब लाइसेंस फीस की दर-2, (X(रुपये में)/Y(रुपये में))*1,00,000 होगी जिसे ₹100/- के अगले निकटतम गुणक तक राउण्ड आफ करते हुये जनपद की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस की दर-2 निर्धारित की जायेगी।

(2) वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वर्ष 2024-25 की दुकानों के आधार पर गठित होने वाली कम्पोजिट दुकानों की अधिकतम संख्या जनपद की समस्त एफ.एल.-5डी दुकानों की संख्या एवं जनपद की समस्त एफ.एल.-5बी दुकानों की संख्या के योग से अधिक नहीं होगी।

(3) जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जनपद की समस्त एफ.एल.-5डी और एफ.एल.-5बी दुकानों की संख्या के आधार पर वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तर 5.2.1(2) में प्राविधानित अधिकतम एफ.एल.-5डीबी कम्पोजिट दुकानों की संख्या एवं अवस्थिति अवधारित कर इनका गठन किया जायेगा। अत्यंत निकट व्यवस्थित एफ.एल.-5डी और एफ.एल.-5बी दुकानों को सम्मिलित करते हुये इन दो दुकानों के स्थान पर एक एफ.एल.-5डीबी दुकान गठित की जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त कुल कम्पोजिट दुकानों की संख्या एफ.एल.-5डी और एफ.एल.-5बी दुकानों की संख्या से कम रहने की संभावना रहेगी और ऐसी स्थिति में जनपद के असेवित क्षेत्रों में यथासंभव अन्य कम्पोजिट दुकानें भी गठित की जायेंगी। इस प्रकार गठित कुल कम्पोजिट दुकानों की संख्या प्रस्तर 5.2.1(2) में प्राविधानित संख्या से अधिक नहीं होगी। यदि किसी दुकान को उसकी वर्ष 2024-25 की अवस्थिति में ही कम्पोजिट दुकान के रूप में परिवर्तित/गठित किया जाता है और यह दुकान वर्ष 2024-25 के परिसर में ही संचालित होती है तब ऐसी दुकानों पर उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968(यथासंशोधित) के नियम-5(4)(क) के प्रथम परन्तुक के प्राविधान लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि कम्पोजिट दुकानों के गठन हेतु यदि किसी एफ.एल.-5डी अथवा एफ.एल.-5बी दुकान को स्थानांतरित करना आवश्यक समझा जाये तब ऐसे स्थानांतरण का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी (संबंधित जनपद के जिलाधिकारी) को प्रदान किया जाता है।

(4) जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जनपद की समस्त एफ.एल.-5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024-25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसको उपरोक्त उप प्रस्तर-(3) के अनुसार गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित किया जायेगा। इस पुनर्आवंटन की प्रक्रिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित विदेशी मदिरा का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024-25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ.एल.-5डी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस

प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व ₹5,000/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025-26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-5.6.1 के अनुसार होगा।

तत्पश्चात 'लाइसेंस फीस की दर-1' के आधार पर विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस-1 एवं तदनुसार संबंधित एम.जी.आर. प्रस्तर-5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

(5) इसी प्रकार जनपद के अपराध निरोधक क्षेत्रों के आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अपने जनपद की समस्त एफ.एल.-5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व वर्ष 2024-25 में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये इसको उपरोक्त उपप्रस्तर-(3) के अनुसार गठित कम्पोजिट दुकानों में तर्कसंगत रूप से आवंटित किया जायेगा। इस तर्कसंगत पुनर्आवंटन की प्रक्रिया में समस्त कम्पोजिट दुकानों पर आवंटित बीयर का कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व, वर्ष 2024-25 में निर्धारित जनपद के समस्त एफ.एल.-5बी दुकानों के कुल न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व एवं इस पर 5 प्रतिशत वद्धि के पश्चात प्राप्त योग से कम नहीं होगा। इस प्रकार आवंटित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व ₹5,000/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा जो वर्ष 2025-26 हेतु कम्पोजिट दुकान का निर्धारित वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) होगा जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-5.6.1 के अनुसार होगा। तत्पश्चात 'लाइसेंस फीस की दर-2' के आधार पर बीयर की लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-2) का आगणन किया जायेगा। इस प्रकार गठित किसी भी कम्पोजिट दुकान की लाइसेंस फीस-2 एवं तदनुसार संबंधित एम.जी.आर. प्रस्तर-5.9.2.1 में प्राविधानित न्यूनतम से कम नहीं होगा।

(6) उपरोक्तानुसार आगणित लाइसेंस फीस-1 एवं लाइसेंस फीस-2 को निकटतम ₹5,000/- के अगले गुणक तक राउण्ड ऑफ कर अंतिमीकृत किया जायेगा। इस प्रकार आगणित अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 का योग कम्पोजिट दुकान की वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस होगी। प्रत्येक कम्पोजिट दुकान की अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-1 एवं अंतिमीकृत लाइसेंस फीस-2 और संबंधित एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का प्रत्येक स्तर पर लेखा जोखा रखा जाना अनिवार्य होगा।

(7) उपर्युक्तानुसार गठित कुल कम्पोजिट दुकानों की संख्या वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित कुल एफ.एल.-5डी एवं एफ.एल.-5बी दुकानों की संख्या के योग से अधिक नहीं होगी। जनपद में वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित कुल एफ.एल.-5डी एवं एफ.एल.-5बी दुकानों की संख्या के योग के बराबर संख्या तक कम्पोजिट दुकानों के गठन हेतु यदि किसी जनपद में असेवित क्षेत्रों में अतिरिक्त कम्पोजिट दुकानों के गठन की आवश्यकता होगी तब इनका गठन किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को प्रदान किया जाता है।

(8) उपर्युक्त समस्त कार्यवाही पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त की संस्तुति प्राप्त करते हुये लाइसेंस प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(9) यदि किसी कम्पोजिट दुकान के परिसर में मॉडल शॉप हेतु आवश्यक अर्हतायें विद्यमान हों, एवं लाइसेंस फीस नवसृजित मॉडलशॉप की लाइसेंस फीस के बराबर अथवा अधिक हो और संबंधित अनुज्ञापी द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि उसकी कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित करते हुये परिसर में मदिरा पान की सुविधा प्रदान की जाय तब मदिरा पान शुल्क लेकर संबंधित

कम्पोजिट दुकान को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जाना अनुमन्य होगा। यदि परिसर मॉडल शॉप हेतु अर्हकारी हो परन्तु लाइसेंस फीस नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम हो तब लाइसेंस फीस के अंतर की धनराशि भी देय होगी। इस प्रकार परिवर्तित मॉडल शॉप में बीयर एवं एफ.एल्. का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पृथक-पृथक नहीं निर्धारित होगा। अनुज्ञापी को प्रासेसिंग फीस तथा अन्य देयताओं के अंतर (यदि कोई हो) की धनराशि भी जमा करनी होगी।

(10) कम्पोजिट दुकानों की प्रतिभूति उनकी लाइसेंस फीस (लाइसेंस फीस-1+लाइसेंस फीस-2) का 10 प्रतिशत होगी।

(11) यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित एम.जी.आर.(एफ.एल.) अथवा एम.जी.आर. (बीयर) से अतिरिक्त उठान पर अतिरिक्त लाइसेंस फीस वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं ली जायेगी।

(12) कम्पोजिट दुकानों पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

5.2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण

वर्ष 2025-26 हेतु भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा

क्र. सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल (750 एम.एल.) (E) (₹)	श्रेणी का नाम	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (D) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (₹)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0 से 70 तक	इकोनोमी	₹242+ई.डी.पी. का 75%	₹3.75+ई.डी.पी. का 3.00%	₹60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
2.	70 से अधिक, 125 तक	मीडियम	₹264+ई.डी.पी. का 82%	₹4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	₹60+ई.डी.पी. का 20%	कालम 2+4+5+6 का योग
3.	125 से अधिक, 250 तक	रेगुलर	₹272+ई.डी.पी. का 83%	₹4.00+ई.डी.पी. का 2.80%	₹75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
4.	250 से अधिक, 400 तक	प्रीमियम	₹279+ई.डी.पी. का 85%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹75+ई.डी.पी. का 10%	कालम 2+4+5+6 का योग
5.	400 से अधिक, 600 तक	सुपर प्रीमियम	₹294+ई.डी.पी. का 90%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग
6.	600 से अधिक	स्कॉच	₹304+ई.डी.पी. का 95%	₹4.75+ई.डी.पी. का 2.50%	₹85+ई.डी.पी. का 7.5%	कालम 2+4+5+6 का योग

नोटः- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2025-26 हेतु निम्न व्यवस्थाएं भी निर्धारित की जाती हैः-

1. वर्ष 2025-26 हेतु कांच और पेट बोतलों एवं एसेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रापैक) में भारत निर्मित विदेशी मदिरा अनुमन्य होगी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति तभी अनुमन्य की जायेगी जब संबंधित ब्राण्ड की आपूर्ति हेतु एल्युमीनियम कैन की अनुमन्यता/उपयुक्तता तथा इसमें आपूर्ति करने पर अधिकतम शेल्फ लाइफ के संबंध में सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। एल्युमीनियम कैन में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की आपूर्ति के प्रकरणों में शेल्फ

लाइफ 09 माह अथवा सी.एफ.टी.आर.आई. द्वारा संस्तुत शेल्फ लाइफ में से जो कम हो, अनुमन्य की जायेगी एवं संबंधित उत्पादक द्वारा लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

2. विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आसवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹.10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डी.पी. कॉस्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत आसवनी/बाण्डधारक द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EDP of SKU* less than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)
EDP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-2
EDP of SKU greater than 375ML	EDP(Size of SKU)= [EDP(180)/180]*(Size of SKU)]-7

***SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।**

90 एम.एल. व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डी.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डी.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

4. ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस ₹0.35 एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होंगी।

5. विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

6. विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में ₹0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। शेष प्राविधान प्रस्तर-5.1.7(3) के अनुसार रहेंगे।

7. उपर्युक्तानुसार आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

5.2.3 भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ई.एन.ए. से निर्माण

विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई.एन.ए. से करने की व्यवस्था प्रभावी है, जिसे वर्ष 2025-26 में भी यथावत रखा जाता है। रम को छोड़कर अन्य प्रकार की भारत निर्मित विदेशी मदिरा में शीरा आधारित ई.एन.ए. का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

5.2.4 प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को विदेशी मदिरा की आपूर्ति

वर्ष 2025-26 में निम्न प्राविधान लागू होंगे:-

1. **लाइसेंस फीस**

क्र.सं.	**अनुज्ञापन का प्रकार**	**लाइसेंस फीस की दर**
1	एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए	1. विदेशी मदिरा- ₹35.00/- प्रति बोतल (750 एम.एल.) 2. बीयर- ₹7.00/- प्रति कैन (500 एम.एल.), (अन्य धारिताओं के लिये लाइसेंस फीस समानुपातिक होगी) 3. एल.ए.बी.- ₹5.00/- प्रति कैन/बोतल,
2	एफ.एल.-2ए	₹10,000/- प्रति वर्ष प्रति अनुज्ञापन

2. वर्ष 2025-26 हेतु एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल हेतु अनुमन्य प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है। बीयर, वाइन, एवं एल.ए.बी. हेतु उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा।

3. एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों के अन्तर्गत रियायती रम की आपूर्ति इकोनोमी श्रेणी की विदेशी मदिरा की ई.डी.पी. रुपये 0 से 70 तक के अनुसार अनुमन्य होगी।

4. सेना एवं अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों के कर्मियों को एफ.एल.-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. एवं वाइन की भी बिक्री अनुमन्य होगी।

5. केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को एफ.एल.-9ए अनुज्ञापन और एफ.एल.-9 अनुज्ञापन भी अनुमन्य होंगे।

5.2.5 (क) एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा, बीयर की आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) की लाइसेंस फीस का निर्धारण

वर्ष 2025-26 हेतु एफ.एल.-1 अथवा एफ.एल.-1ए की लाइसेंस फीस वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित ₹10,00,000/-(रुपया दस लाख मात्र) के स्थान पर ₹11,00,000/-(रुपया ग्यारह लाख मात्र) एवं प्रतिभूति धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये निर्धारित ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) के स्थान पर ₹1,10,000/- (रुपया एक लाख दस हजार मात्र) प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की

जाती है। परन्तु ऐसे एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों, जिनका नवीनीकरण वर्ष 2025-26 अथवा अग्रेतर वर्षों के लिये पूर्व में ही हो चुका है, पर उक्त प्राविधान लागू नहीं किया जाएगा। नये एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹100,000/- (एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण फीस भी ₹100,000/- (रुपया एक लाख मात्र) होगी परन्तु नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ख) एफ.एल.-3ए की लाइसेंस फीस/नवीनीकरण फीस का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	**अनुमानित वार्षिक बाटलिंग फीस (रुपये में)**	**एफ.एल.-3ए लाइसेंस की लाइसेंस फीस/ नवीनीकरण फीस (रुपये में)**
1	एक करोड़ तक	4 लाख
2	एक करोड़ एक से दो करोड़ तक	8 लाख
3	दो करोड़ एक से तीन करोड़ तक	12 लाख
4	तीन करोड़ एक से चार करोड़ तक	16 लाख
5	चार करोड़ से अधिक	30 लाख

(ग) वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति में एफ.एल.-3ए अनुज्ञापनो हेतु प्रथम बार एक मुश्त फ्रैंचाइजी फीस के स्थान पर प्रति बल्क लीटर फ्रैंचाइजी फीस का प्राविधान लाया गया था। अत: निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फ्रैंचाइजी फीस के पूर्व प्राविधान को संशोधित एवं तर्कसंगत करते हुये एफ.एल.-3ए अनुज्ञापन में भरी जाने वाली विदेशी मदिरा अथवा बीयर पर फ्रैंचाइजी फीस निम्नांकित दर से आरोपित किये जाने का प्राविधान किया जाता है:-

क्र. सं.	**बोतलों/कैनों में भरी जाने वाली मदिरा का प्रकार**	**उपभोग का प्रकार**	**वर्ष 2024-25 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइसी फीस की दर**	**वर्ष 2025-26 में एफ.एल.-3ए हेतु फ्रैंचाइसी फीस की दर**
1	बीयर	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹1.00 प्रति ब.ली.	₹0.80 प्रति ब.ली.
2	बीयर	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹1.00 प्रति ब.ली.	₹0.50 प्रति ब.ली.
3	विदेशी मदिरा (प्रीमियम एवं उच्च श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹4.00 प्रति ब.ली.	₹4.00 प्रति ब.ली.
4	विदेशी मदिरा (ईकोनामी, मीडियम एवं रेगुलर श्रेणी)	प्रदेश में उपभोग हेतु	₹4.00 प्रति ब.ली.	₹3.00 प्रति ब.ली.
5	विदेशी मदिरा	प्रदेश के बाहर निर्यात हेतु	₹4.00 प्रति ब.ली.	₹2.00 प्रति ब.ली.

5.2.6 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम

(1) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम के अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का व्यवस्थापन

वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की भॉति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के नये बंधित गोदामों का व्यवस्थापन, उत्तर प्रदेश आबकारी(विदेशी मदिरा

बंधित गोदाम के लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2011 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) का नवीनीकरण

वर्ष 2024-25 में स्वीकृत बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी अनुज्ञापनों का, संबंधित अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2025-26 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों, प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अनुज्ञापी द्वारा आवेदन करने पर वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु वर्ष 2024-25 में निर्धारित की गयी व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है।

5.2.7 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, एल.ए.बी. के बंधित गोदाम अनुज्ञापनों (बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए, 2बी, 2सी, 2डी) हेतु प्रोसेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस, अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति एवं अन्य व्यवस्थाएं

(1) अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2025-26 हेतु ₹1,00,000/- निर्धारित की जायेगी।

(2) नवीनीकरण हेतु आवदेन करते समय नवीनीकरण फीस वर्ष 2025-26 में ₹1,00,000/- ली जाएगी।

नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(3) वर्ष 2025-26 हेतु उपरोक्त अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	अनुज्ञापन का विवरण	वर्ष 2025-26 लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	वर्ष 2025-26 प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	BWFL-2A	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	17.50	9.00
2.	BWFL-2B	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	12.50	6.50
3.	BWFL-2C	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50
4.	BWFL-2D	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु अनुज्ञापन।	3.00	1.50

(4) **अन्य व्यवस्थायें:-**

(क) यदि प्रदेश के बाहर की कोई इकाई प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाण्ड अनुज्ञापन लेना चाहे तो उसे विभिन्न जनपदों में अनुज्ञापन दिया जाएगा एवं इस निमित्त उससे प्रत्येक अनुज्ञापन हेतु निर्धारित प्रासेसिंग फीस अथवा नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस ली जाएगी।

बाण्ड अनुज्ञापनों से विक्रय किये जाने वाले ब्राण्ड्स, उनके लेबिलों एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन उत्पादक, बाटलिंग इकाई द्वारा बाण्डवार कराया जायेगा।

(ख) गत वर्ष की भाँति मास्टर वेयरहाउस (Master Warehouse) पंजीकरण अनुमन्य होगा एवं वर्ष 2025-26 हेतु पंजीकरण फीस ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) प्रति वेयरहाउस रखी जाती है। गत वर्ष पंजीकृत मास्टर वेयर हाउस द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु रूपया ₹2,00,000/-(दो लाख मात्र) नवीनीकरण फीस जमा करने पर आबकारी आयुक्त द्वारा उसके पंजीकरण का नवीनीकरण अनुमन्य किया जाएगा।

परन्तु यह कि नवीनीकरण की स्थिति में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

(ग) नवीनीकृत बॉण्ड अनुज्ञापनों पर वर्ष 2024-25 में प्रतिफल शुल्क के मद में अग्रिम रूप से जमा और अप्रयुक्त धनराशियों को वर्ष 2025-26 में अग्रेनीत कर समायोजित किया जाएगा।

(घ) बॉण्ड अनुज्ञापनों पर प्रदेश के बाहर से प्राप्त होने वाले पारेषणों पर देय समस्त प्रकार के प्रतिफल शुल्क आदि आयात परमिट प्राप्त करते समय अग्रिम रूप से जमा कराये जायेंगे।

(ङ) वित्तीय वर्ष 2025-26 में भिन्न श्रेणी की मदिरा के बाण्डों एवं एफ.एल.-1/1ए हेतु भी मास्टर वेयर हाउस का पंजीकरण कराया जाना अनुमन्य होगा। मास्टर वेयरहाउस की व्यवस्था में एक ही स्वामित्व वाले बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल.-1/1ए अनुज्ञापनों के साथ उसी स्वामित्व वाले बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन को भी सम्मिलित किया जाना अनुमन्य होगा और ऐसी व्यवस्था करने हेतु ऑनलाइन सुविधा विकसित की जायेगी।

5.2.8 (i) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस

वर्ष 2025-26 में बोतलों में देश के अंदर से प्रदेश में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ₹12/- प्रति बल्क लीटर ली जाएगी। माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि के बल्क में आयात पर ₹ 25/-प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जाएगी। प्रदेश में ग्रेन ई.एन.ए. के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बल्क विदेशी मदिरा(माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस. स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़कर) अथवा ग्रेन ई.एन.ए. के देश के अन्य प्रदेशों से प्रदेश में आयात करने पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस में वृद्धि करते हुये ₹12/- प्रति बल्क लीटर के स्थान पर वर्ष 2025-26 में ₹15/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस ली जायेगी। अन्य देशों से आयातित माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस., स्पेशल स्प्रिट, बल्क स्प्रिट आदि पर आयात परमिट फीस भी उपरोक्तानुसार निर्धारित संबंधित दरों पर ही ली जायेगी।

(ii) विदेशी मदिरा की निर्यात पास फीस (सिविल)

माल्ट स्प्रिट, मेच्योर्ड माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस., स्पेशल स्प्रिट आदि का बल्क में निर्यात किये जाने पर निर्यात पास फीस वर्ष 2025-26 हेतु ₹10/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है। विदेशी मदिरा (माल्ट स्प्रिट, मेच्योर्ड माल्ट स्प्रिट, एच.बी.एस., स्पेशल स्प्रिट आदि को छोड़ कर) के बल्क में निर्यात पर निर्यात पास फीस ₹6/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है। प्रदेश में विगत वर्षों में ग्रेन ई.एन.ए. की पर्याप्त क्षमता विकसित हो गयी तथा इसके प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात की संभावनायें प्रबल हो गयी है। अन्य प्रदेशों में ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात से न केवल अधिक राजस्व प्राप्त होगा अपितु इस क्षेत्र में हो रहे निवेश से समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होंगे। प्रदेश में ग्रेन ई.एन.ए. के उत्पादन एवं इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात के मामलों में निर्यात पास फीस की दर में कमी करते हुये वर्ष 2025-26 हेतु इसे ₹3/- के स्थान पर ₹2/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है। एब्सोल्युट

अल्कोहल एवं रेक्टिफाइड स्प्रिट की निर्यात पास फीस उत्तर प्रदेश आबकारी विकृत स्प्रिट का आयात, निर्यात, परिवहन और उसे कब्जे में रखना (चौबीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2004 में यथा निर्धारित निर्यात पास फीस की दर क्रमश: ₹3.00 एवं ₹2.50 प्रति बल्क लीटर होगी।

चूँकि इस वर्ष एफ.एल.-3ए से निर्यात की स्थिति में फ्रैंचाइजी फीस को तर्कसंगत करते हुये निवेश हित में कम किया गया है, अत: प्रदेश में स्थापित आसवनियों को भी निर्यात करने हेतु प्रोत्साहित करने उद्देश्य से एफ.एल.-3 की निर्यात फीस को भी तर्कसंगत करते हुये निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	2024-25 हेतु निर्यात पास फीस	2025-26 हेतु निर्यात पास फीस
		विदेशी मदिरा	विदेशी मदिरा
1	एफ.एल.-3	₹3.00 प्रति ब.ली.	₹2.75 प्रति ब.ली.
2	एफ.एल.-3ए	₹3.00 प्रति ब.ली.	₹3.00 प्रति ब.ली.

वर्ष 2024-25 में भारतीय सेना को आपूर्ति की जाने वाली रियायती रम पर निर्यात पास फीस रुपये 1.00 प्रति ए.एल. निर्धारित है। इस दर को वर्ष 2025-26 हेतु यथावत रखा जाता है।

प्रदेश में विदेशी मदिरा अथवा यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में कठिनाई होने पर ग्रेन ई.एन.ए. के निर्यात को प्रतिबंधित करने का अधिकार आबकारी आयुक्त मे निहित होगा एवं उनके द्वारा यथास्थिति यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

5.2.9 विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. व 60 एम.एल. की धारिता में बिक्री

वर्ष 2025-26 में विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी में 90 एम.एल. की धारिता एवं उससे ऊपर की श्रेणियों में विदेशी मदिरा की बिक्री 60 एम.एल. एवं 90 एम.एल. की धारिता की शीशे की बोतलों के साथ-साथ सिरोंग पैक में भी अनुमन्य की जाती है।

5.2.10 बार एवं क्लब लाइसेंस तथा समारोह बार लाइसेंस

(क) समस्त बार अनुज्ञापन उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली, 2020 (यथासंशोधित) के अनुसार संचालित एवं व्यवस्थित होंगे।

किसी बार अनुज्ञापन परिसर से संबंधित भवन के दूसरे परिसर/टेरेस में बार अनुज्ञापी द्वारा अपने अतिरिक्त बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुये इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत या ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) जो अधिक हो, शुल्क लिया जायेगा।

बार अनुज्ञापनों के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस, लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत होगी एवं नवीनीकरण फीस लाइसेंस फीस का 01 प्रतिशत होगी। बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की दशा में प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बार अनुज्ञापन के प्रकरणों में परिसर की उपयुक्तता के संबंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

मॉडल शॉप दुकानों को लाभप्रद बनाये रखने हेतु नगर निगम से आच्छादित क्षेत्रों एवं उसकी 5 कि.मी. की परिधि में तथा गौतमबुद्धनगर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में, मॉडल शॉप दुकानों से, पथिक मार्ग से 300 मीटर से कम दूरी पर कोई नया एफ.एल्-7 अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यह दूरी दुकानों के मुख्य द्वार के मध्य से मुख्य द्वार के मध्य तक मापी जायेगी। पूर्व से स्वीकृत बार अनुज्ञापनों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा।

वर्ष 2025-26 हेतु बार अनुज्ञापनों की श्रेणियां एवं उनकी लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	बार अनुज्ञापनों के प्रकार	विशेष श्रेणी	श्रेणी-1	श्रेणी-2	श्रेणी-3	श्रेणी-4
		गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से 5 कि.मी. तक जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।	**गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद लखनऊ, के संपूर्ण जिला क्षेत्र (विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर) तथा कानपुर नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी के नगर निगम क्षेत्र/जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद्, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अयोध्या एवं फिरोजाबाद जिला के नगर निगम क्षेत्र/ जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**अन्य समस्त जनपदों के जिला मुख्यालय एवं समस्त जनपदों के नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिनमें छावनी बोर्ड, नोटिफाइड एरिया एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य, विशेष अथवा औद्योगिक) यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित हैं तथा इनकी 5 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र जो भले ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हों, में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**	**विशेष श्रेणी, श्रेणी-1, श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में स्थित होटल/रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार।**
1	एफ.एल.-6 (होटल बार)	**वार्षिक लाईसेंस फीस (रुपये मे)**				
	एफ.एल.-6 (पांच सितारा एवं उच्च होटल जो डायमण्ड/प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत हों)	27.50 लाख	25 लाख	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख
	एफ.एल.-6 (चार सितारा होटल जो प्लेटिनम/ गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत हों)	25 लाख	22.50 लाख	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख
	एफ.एल.-6 (तीन सितारा होटल जो सिल्वर श्रेणी में वर्गीकृत हों)	20 लाख	17.50 लाख	15 लाख	10 लाख	9 लाख

2	50 कमरों तक (अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	5 लाख
	51 से 100 कमरों तक (अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों	17.50 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख
	101 या उससे अधिक कमरे (अतारांकित) जो सिल्वर/ब्रांज श्रेणी में वर्गीकृत हों	20 लाख	15 लाख	12.50 लाख	10 लाख	7.50 लाख
3	एफ.एल.-7 (रेस्टो-बार)	15 लाख	10 लाख	7.50 लाख	5 लाख	5.00 लाख
4	एफ.एल.-7ए (क्लब बार)		वार्षिक लाईसेंस फीस			
	100 सदस्यों तक	5 लाख	4 लाख	3 लाख	1 लाख	1 लाख
	100 से अधिक सदस्यों के लिए	10 लाख	6 लाख	4 लाख	2 लाख	2 लाख
5	एफ.एल.-8 (विशेष रेल गाड़ियॉ एवं क्रूज़)	विशेष रेल गाड़ियॉ - रूपया 15 लाख क्रूज़ (अंतर्रराष्ट्रीय)- रूपया 5 लाख क्रूज़ (अंतर्रराज्यीय)- रूपया 3 लाख				
6	एफ.एल.-'ए.एल.'-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस)	डोमेस्टिक टर्मिनल हेतु रूपया 5 लाख इन्टरनेशनल टर्मिनल हेतु रुपया 6 लाख				

नोट:- (1) उ.प्र. पर्यटन के अंतर्गत डायमण्ड, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रांज श्रेणी में क्लासिफाइड होटलों से इतर होटलों को निर्गत किये जाने वाले एफ.एल.-6 बार लाइसेंस की फीस 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ ली जायेगी।

(2) प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी सेवन के विरूद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड परिपत्र संख्या:9853-9937/ग्यारह-ई.आई.बी./नारकोटिक्स संदेश बोर्ड/ प्रयागराज दिनांक 06.01.2022 के अनुसार उचित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ख) बार अनुज्ञापनों की अतिरिक्त कार्यावधि

बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसो की स्वीकृति) नियमावली,2020(यथासंशेधित) के नियम-24 के अनुसार होगी। गत वर्ष की भॉति अतिरिक्त लाइसेंस फीस के भुगतान पर वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार कार्यावधि अनुमन्य की जाती है:-

1- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर में स्थित बारों से ₹2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 2:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बार अनुज्ञापनों से ₹1,00,000/-(रुपया

एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 1:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

2- तारांकित होटलों में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति 02 घन्टा की अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर रात्रि 04:00 बजे तक।

3- नगर निगम क्षेत्रों तथा गौतमबुद्धनगर जनपद में स्थित समस्त अतारांकित होटल बार अनुज्ञापन परिसरों में मदिरा परोसने की अवधि ₹2,50,000/-(दो लाख पचास हजार मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 2:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित बारों से ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 12:00 बजे रात्रि से 1:00 बजे रात्रि तक संचालन अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा।

4- तारांकित होटलों में इनहाउस गेस्ट्स के लिये मदिरा परोसने की अवधि के संबंध में उपर्युक्त बिन्दु-3 के प्राविधान से छूट प्रदान की जाती है।

5- (अ) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की कार्यावधि आवेदक द्वारा विनिश्चित करते हुये आवेदन पत्र में इसे अंकित किया जायेगा परन्तु यह अवधि अधिकतम 12 घंटे ही होगी। इससे अधिक अवधि हेतु पृथक इवेंट बार लाइसेंस लेना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की अवधि विलम्बतम प्रात: 2:00 बजे तक ही सीमित होगी।

(ब) इवेंट बार/समारोह बार लाइसेंस की लाइसेंस फीस प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

समारोह बार लाइसेंसों का वर्गीकरण	**क्षेत्र**	**वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस**
(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो। (गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश।	₹1,000/- प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये।
(ख) किसी गेटेड आर.डब्लू.ए. के परिसर के अंतर्गत वहां के निवासियों द्वारा आर.डब्लू.ए. से अनापत्ति प्राप्त कर विशेष अवसरों यथा नववर्ष आदि पर आयोजित गैर वाणिज्यिक समारोह के लिये प्रदान किये जाने वाला अनुज्ञापन।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹4,500/- प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये।
(ग) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल /रिसोर्टस /फार्म हाउस/बारात घर, कम्युनिटी सेंटर एवं अन्य किसी स्थान आदि में आयोजित समारोह (प्रवेश शुल्क रहित) के लिये प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु। (वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु)।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश।	₹11,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये।
(घ) किसी स्टेडियम/गोल्फ कोर्स में अथवा रेसिंग ट्रैक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों अथवा आई.पी.एल. के आयोजन के संबंध में किसी व्यक्ति/आयोजक संस्था को प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹1,50,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये।

(ङ) किसी स्टेडियम/गोल्फ कोर्स में अथवा रेसिंग ट्रैक पर आयोजित राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेलों के आयोजन के संबंध में किसी व्यक्ति/आयोजक संस्था को प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु।	संपूर्ण उत्तर प्रदेश	₹75,000/- (एक काउंटर हेतु) प्रति 12 घंटे अथवा इसके किसी भाग के लिये।
(च) इण्टरटेनमेंट शो, प्रदर्शनी, कामेडी शो, मैजिक शो, सेलिब्रेटी शो, मेगा शो एवं अन्य समतुल्य आयोजनों (प्रवेश शुल्क युक्त) के लिये प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु।	संपूर्ण नगर निगम क्षेत्रों एवं इनकी सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में एवं गौतमबुद्धनगर	1- 2,000 दर्शकों तक के लिये ₹50,000/- (एक काउंटर हेतु)। 2- 2001 से 5,000 तक दर्शकों के लिये ₹75,000/- (एक काउंटर हेतु) 3- 5001 से 10000 तक दर्शकों के लिये ₹1,00,000/- (एक काउंटर हेतु) 4- 10001 अथवा अधिक दर्शकों के लिये ₹2,00,000/- (एक काउंटर हेतु)
(छ) इण्टरटेनमेंट शो, प्रदर्शनी, कामेडी शो, मैजिक शो, सेलिब्रेटी शो, मेगा शो एवं अन्य समतुल्य आयोजनों (प्रवेश शुल्क युक्त) के लिये प्रदान किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु	क्रमांक-(च) में उल्लिखत स्थानों को छोड़कर	1- 2,000 दर्शकों तक के लिये ₹20,000/- (एक काउंटर हेतु)। 2- 2001 से 5,000 तक दर्शकों के लिये ₹35,000/- (एक काउंटर हेतु) 3- 5001 से 10000 तक दर्शकों के लिये ₹45,000/- (एक काउंटर हेतु) 4- 10001 अथवा अधिक दर्शकों के लिये ₹100,000/- (एक काउंटर हेतु)

नोट:- प्रति अतिरिक्त काउंटर हेतु लाइसेंस फीस उपर्युक्त तालिका में निर्धारित दर का 50 प्रतिशत होगी।

6- यदि इवेंट स्थल पर किसी अन्य प्रदेश में बिक्री हेतु अनुमन्य मदिरा का स्टाक अथवा इसका सेवन किया जाना पाया जाता है तब इवेंट बार अनुज्ञापन धारक एवं इवेंट स्थल के प्रबंधक/स्वामी प्रत्येक पर ₹1,00,000/- तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा और अन्य प्रदेश के पाये गये स्टाक पर उत्तर प्रदेश के तत्समय विद्यमान नियमों/प्राविधानों के अंतर्गत आगणित कुल प्रतिफल शुल्क की 10 गुना धनराशि भी वसूल की जायेगी। मदिरा क्रय स्थल की सूचना और क्रय की गयी मदिरा का विवरण सुरक्षित रखा जायेगा।

7- एफ.एल.-'ए.एल.'-1 (एअरपोर्ट बार लाइसेंस) के लिये अतिरिक्त कार्यावधि हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा। इनकी संचालन अवधि एअरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

8- राजस्वहित में तथा कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त तालिका के क्रमांक-(ग) में वर्णित जनपद गौतमबुद्धनगर तथा नगर निगम क्षेत्रों एवं उसकी सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में किसी रेस्टोरेंट या होटल द्वारा एक बार मे न्यूनतम 3 दिन का इवेंट लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा जिसकी दर ₹11,000 प्रतिदिन होगी। 03 दिन से कम अवधि का इवेंट लाइसेंस लेना अनुमन्य नहीं होगा।

(ग) बार अनुज्ञापनों एवं माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण/स्वीकृति

1. वर्ष 2024-25 में बार, क्लब बार एवं माइक्रो ब्रिवरी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा किये जाने पर 03 वर्षों तक कराये जाने का भी विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है जिसे 2025-26 हेतु यथावत रखा जाता है। माइक्रोब्रिवरी से 5 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्यूटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ का निर्धारण आबकारी आयुक्त के स्तर से किया जायेगा।

2. वर्ष 2025-26 में बार अनुज्ञापन एवं माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन एक साथ आवेदित करने पर बार अनुज्ञापन एवं माइक्रोब्रिवरी की सम्मिलित लाइसेंस फीस में रू1,00,000/- (एक लाख मात्र) की छूट प्रथम वर्ष में प्रदान की जायेगी। माइक्रो ब्रिवरी का अनुज्ञापन बार अनुज्ञापनों को ही प्रदान किये जाने की व्यवस्था है और चूँकि बार अनुज्ञापनों की स्वीकृति का अधिकार आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रदत्त है अत: प्रशासनिक हित एवं कार्यहित में माइक्रोब्रिवरी के नवीन अनुज्ञापन की स्वीकृति का अधिकार आबकारी आयुक्त को प्रदान किया जाता है।

3. ईज़ ऑफ डूइंग बिजिनेस के दृष्टिगत माइक्रो ब्रिवरी का नवीनीकरण बार अनुज्ञापन के साथ सुगमता से कराने हेतु नवीनीकरण का अधिकार आबकारी आयुक्त से जिला कलेक्टर को प्रतिनिधायित किये जाने का निर्णय लिया गया था जिसे वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है।

(घ) यदि किसी एफ.एल.-7 अथवा एफ.एल.-7ए अनुज्ञापन के परिसर में ही लान, स्वीमिंग पूल अथवा टेरेस भी है और परिसर में निर्धारित बिक्री काउण्टर से अधिक बिक्री काउण्टर होने का औचित्य पाया जाता है तब अनुज्ञापी के प्रार्थना पत्र पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विचार करते हुये निर्णय लिया जायेगा और स्वीकृति की दशा में ऐसे परिसर में प्रति अतिरिक्त बिक्री काउण्टर हेतु लाइसेंस फीस का 25 प्रतिशत अथवा ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार मात्र) जो भी अधिक हो, अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जायेगी।

(ङ) वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा आबकारी नीति वर्ष 2022-23 के संलग्नक-5 के अनुसार वर्ष 2025-26 में यथावत रखी जाती है।

(च) समारोह बार लाइसेंस लेने वाले रिसार्ट, फार्महाउस, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट, कम्युनिटी हाल, होटल आदि को विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹5,000/- आबकारी वर्ष या इसके किसी भाग के लिये लिया जायेगा।

(छ) (1) वर्ष 2025-26 में बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. को छोड़ कर अन्य प्रकार की मदिरा की बार अनुज्ञापनों से सील बन्द बोतलों/कैन की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

(2) वर्ष 2025-26 में समस्त बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. का क्रय निर्धारित एम्.आर.पी. पर करना होगा और यथास्थिति फुटकर विक्रेता का मार्जिन अथवा फुटकर तथा थोक विक्रेता दोनों का मार्जिन राजकोष में जमा करना होगा।

(3) बार अनुज्ञापनों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल.ए.बी. को छोड़ कर) की बिक्री पेग में ऐसी दरों पर की जायेगी जिसके फलस्वरूप संपूर्ण बोतल की बिक्री से प्राप्त धनराशि एम.आर.पी. से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक हो।

(4) बार अनुज्ञापनों द्वारा बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की सील बंद बोतलों की बिक्री एम.आर.पी. से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर की जायेगी।

उपर्युक्त संपूर्ण उपप्रस्तर-(छ) का अनुपालन न पाये जाने की दशा में संबंधित अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी और ₹1,00,000 तक का अर्थदण्ड भी आरोपित किया जायेगा।

(ज) 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों हेतु अतिथियों के कमरों में विदेशी मदिरा की 90 एम.एल. और 60 एम.एल. धारिता की मिनियेचर बोतलों को भी उपभोग हेतु रखा जाना अनुमन्य होगा। उक्त के अतिरिक्त 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों में ₹1,000/- एम.आर.पी. और इससे कम एम.आर.पी. की बोतलों वाली विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन और एल.ए.बी. को छोड़कर) को परोसा जाना अनुमन्य नहीं होगा। जनपद गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में एफ.एल्-7 रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापनों पर भी एम.आर.पी. सीमा का यह प्राविधान लागू होगा। बार में मिनियेचर बोतलों का उपभोग एवं परोसना अनुमन्य नहीं होगा।

5.2.11 उत्तर प्रदेश के जनपद-गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में मात्र लो अल्कोहलिक स्ट्रेन्थ बिवरेजेज, बीयर, वाइन एवं आर.टी.डी. हेतु भी बार अनुज्ञापन प्रपत्र एफ.एल.-7(1) में प्रदान किये जायेंगे। एफ.एल.-7(1) बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹4.00 लाख वार्षिक होगी। लाइसेंस फीस की देयता, प्रतिभूति की दर, प्रासेसिंग फीस, नवीनीकरण फीस इत्यादि की दर एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापनों के समान होगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 5.2.10(छ) 2 तथा (छ)4 के प्राविधान लागू होंगे।

5.2.12 (क) जलाशयों में स्थापित (इंजिन युक्त अथवा इंजिन रहित) जलयानों/फ्लोटिंग प्लेटफार्मों पर संचालित मानक रेस्टोरेंटों में भी एफ.एल.-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाना अनुमन्य होगा।

(ख) ऐसे रेस्टोरेंट जो सक्षम संबंधित स्थानीय निकाय से वैध रेस्टोरेंट संचालन अनुज्ञापत्र प्राप्त हों तथा एफ.एस.एस.ए.आई. से निर्गत वैध अनुज्ञापन प्राप्त हों, को अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने पर बार अनुज्ञापन प्रदान किये जाने में, परिसर के वाणिज्यिक क्षेत्र मे होने की अनिवार्यता नहीं होगी।

5.3 भारत निर्मित वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय (लो अल्कोहलिक ब्रिवरेजेज़-एल.ए.बी.) पर प्रतिफल फीस, बिक्री की अनुमन्यता एवं वाइन के फुटकर बिक्री की दुकानें

5.3.1 उत्तर प्रदेश में फल उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि करने एवं उत्पादित फलों की क्षति की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश में द्राक्षासवनियों की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश में उत्पादित फलों से निर्मित वाइन पर प्रतिफल शुल्क की देयता के प्राविधानों को अत्यंत सरल बनाया गया है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में द्राक्षासवनियों की स्थापना प्रारम्भ हो गयी है तथा इनमें उत्पादन कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होने की संभावना है। अत: प्रदेश में उत्पादित वाइन की बिक्री को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति, जो अन्य फुटकर दुकान के अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु अर्ह हो, को केवल स्वउत्पादित एवं प्रतिफल शुल्क मुक्त वाइन की फुटकर बिक्री हेतु नगर निगम जिला मुख्यालयों तथा जनपद गौतमबुद्धनगर में भी एक अनुज्ञापन वी-5 स्वीकृत किया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये ₹50,000/- निर्धारित की जाती है। अन्य जिला मुख्यालयों हेतु वी-5 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹30,000/- निर्धारित की जाती है। इन दुकानों

को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जाता है। द्राक्षासवनी द्वारा अपनी अपनी जनपदीय दुकानों को सीधे निकासी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसी स्थितियों में थोक विक्रेता का मार्जिन भी राजकोष में जमा करना होगा।

5.3.2 वाइन, साइडर, शेरी एवं पेरी पर प्रतिफल शुल्क एवं आपूर्ति

(क) वर्ष 2025-26 में भारत में निर्मित वाइन (जिसमें नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रकार की वाइन के अतिरिक्त साइडर और पेरी भी सम्मिलित माने जायेंगे) पर आयात शुल्क, ₹04/- प्रति ब.ली. रखा जाता है।

(ख) समुद्र पार आयातित वाइन पर प्रतिफल फीस, प्रस्तावित एम.आर.पी. का 50 प्रतिशत (जो रुपये 10 के अगले गुणक में रखी जायेगी) निर्धारित की जाती है।

(ग) वर्ष 2025-26 हेतु भारत निर्मित वााइन की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नवत् किया जाता हैः-

क्र.सं.	श्रेणी (तीव्रता के आधार पर) प्रतिशत वी./वी.	ई.डब्लू.पी. प्रति बोतल (750 एम.एल.) (₹)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 एम.एल.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (WM) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (RM) (₹)	एम.आर.पी. का सूत्र (MRP) (₹)
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 प्रतिशत वी./वी. तक	ई.डब्लू.पी.	ई.डब्लू.पी. का 50%+₹65	ई.डब्लू.पी. का 4%	ई.डब्लू.पी. का 15%	कालम 3+4+5+6 का योग जिसे ₹10/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।
2.	10 प्रतिशत वी./वी. से अधिक 15 प्रतिशत वी./वी. तक	ई.डब्लू.पी.	ई.डब्लू.पी.का 50%+₹70	ई.डब्लू.पी. का 4%	ई.डब्लू.पी. का 15%	कालम 3+4+5+6 का योग जिसे ₹10/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।
3.	15 प्रतिशत वी./वी. से अधिक	ई.डब्लू.पी.	ई.डब्लू.पी. का 70%+₹50	ई.डब्लू.पी. का 4%	ई.डब्लू.पी. का 15%	कालम 3+4+5+6 का योग जिसे ₹10/- के निकटतम अगले गुणक तक राउण्ड आफ किया जायेगा।

नोट:- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2025-26 हेतु निम्न व्यवस्थाएं भी निर्धारित की जाती हैं:-

1. वर्ष 2025-26 हेतु कांच की बोतलों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में वाइन की आपूर्ति अनुमन्य होगी। कैन में आपूर्ति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य की जायेगी कि शेल्फ लाइफ अधिकतम 9 माह तक अनुमन्य होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

2. वाइन ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु द्राक्षासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डब्लू.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी

द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डब्लू.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डब्लू.पी. वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डब्लू.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित ई.डब्लू.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत द्राक्षासवनी/बाण्डधारक द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई.डब्लू.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डब्लू.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डब्लू.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.डब्लू.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डब्लू.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डब्लू.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. 180 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.डब्लू.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.डब्लू.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.डब्लू.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EWP of SKU less than 180ML	EWP(Size of SKU)= [EWP(180)/180]*(Size of SKU)
EWP of SKU less than or equal to 375ML but greater than 180ML	EWP(Size of SKU)= [EWP(180)/180]*(Size of SKU)]-2
EWP of SKU greater than 375ML	EWP(Size of SKU)= [EWP(180)/180]*(Size of SKU)]-7

***SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।**

90 एम.एल. व 60 एम.एल.के एम.आर.पी. निर्धारण हेतु ई.डब्लू.पी. का आगणन 180 एम.एल. की ई.डब्लू.पी. के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाएगा।

4. ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु ट्रैक ऐण्ड ट्रेस फीस ₹0.35 एवं निर्धारित स्पेशल फीस प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डब्लू.पी. में सम्मिलित होंगी।

5. वाइन के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

6. वाइन की ई.डब्लू.पी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में ₹0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत

बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। शेष प्राविधान प्रस्तर-5.1.7(3) के अनुसार रहेंगे।

7. उपर्युक्तानुसार आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

(घ) वर्ष 2024-25 की भाँति वर्ष 2025-26 में वाइन की बिक्री कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप से की जायेगी।

5.3.3 कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.):-

वर्ष 2025-26 में कम तीव्रता के मादक पेय की एम.आर.पी. व प्रतिफल फीस का निर्धारण गतवर्ष की भाँति निम्नांकित सूत्र के अनुसार किया जायेगा:-

क्र.सं.	ई.डी.पी. की श्रेणी प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन(500 एम.एल.) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति बोतल/कैन (500 एम.एल.) (₹)	एम.आर.पी. का सूत्र (₹)
1	2	3	4	5	6
1	ई.डी.पी.(अन्य धारिताओं हेतु बीयर की भाँति ई.डी.पी. का आगणन किया जायेगा)	ई.डी.पी. का 50 प्रतिशत+₹125	ई.डी.पी. का 1.25 प्रतिशत +₹2.00	ई.डी.पी. का 20 प्रतिशत+₹10.00	कालम 2+3+4+5 का योग

नोट:- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

अन्य व्यवस्थायें निम्नानुसार होंगी:-

1. स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन हेतु ₹0.35 प्रत्येक धारिता की बोतल की ई.डी.पी. में सम्मिलित होगा।

2. एल.ए.बी. ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु द्राक्षासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.डब्लू.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके समानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.डब्लू.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.डी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित ई.डी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत आसवनी/बाण्डधारक द्वारा अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम ई.डी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कास्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.डी.पी. के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.डी.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का निर्णय अंतिम होगा।

विभिन्न प्रदेशों में ई.डी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, शीरा पर प्रशासनिक फीस, ई.एन.ए./ग्रेन ई.एन.ए. पर वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.डी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

3. कम तीव्रता के मादक पेय के अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य को राउण्ड ऑफ करते हुये, 10 के गुणांक के अगले स्तर पर निर्धारित कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रूप में लिया जायेगा।

4. ई.डी.पी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन हेतु ₹0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। उपरोक्त ₹0.15 में से ₹0.09 विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। शेष प्राविधान प्रस्तर-5.1.7(3) के अनुसार रहेंगे।

5. उपर्युक्तानुसार आगणित एम.आर.पी. में नियमानुसार देय विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की राशि को जोड़कर अंतिमीकृत एम.आर.पी. निर्धारित की जायेगी।

6. एल.ए.बी. की आपूर्ति कॉच की बोतलों के अतिरिक्त भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित एल्युमीनियम कैन में भी अनुमन्य होगी। एल्युमीनियम कैन में एल.ए.बी. के मामले में शेल्फ लाइफ अधिकतम 09 माह तक ही होगी एवं संबंधित उत्पादक की ओर से लेबिल पर बड़े अक्षरों में शेल्फ लाइफ अंकित की जायेगी।

वर्ष 2025-26 में उक्त मादकों की बिक्री कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप में अनुमन्य होगी।

5.4 बीयर, ऐल, पोर्टर

5.4.1 बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी.

वर्ष 2024-25 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. का निर्धारण, 500 मि.ली. के केन में माइल्ड (5 प्रतिशत वी./वी. या उससे कम अल्कोहल की तीव्रता) एवं स्ट्रांग (5 प्रतिशत वी./वी. तीव्रता से अधिक परन्तु 8 प्रतिशत वी./वी. अल्कोहल की तीव्रता तक) के लिये, समान रूप से करते हुये किया गया है जिसे वर्ष 2025-26 हेतु यथावत रखा जाता है। बीयर की दुकानों के स्थान पर कम्पोजिट दुकानों का गठन किये जाने के कारण और इनके मॉडल शॉप में परिवर्तन का विकल्प भी दिये जाने का प्राविधान किये जाने के कारण वर्ष 2024-25 में बीयर दुकानों हेतु लायी गयी परमिट रूम की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

वर्ष 2025-26 हेतु बीयर का प्रतिफल शुल्क एवं एम.आर.पी. का आगणन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

यवासवक द्वारा एक्स ब्रिवरी प्राइस (ई.बी.पी.) घोषित करने हेतु निर्धारित एक्स यवासवनी / बाण्डधारक इकाई / एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति केन 500 मि.ली. (₹)	प्रतिफल फीस प्रति केन (500 मि.ली.) (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन प्रति केन (500 मि.ली) (₹)	अधिकतम फुटकर मूल्य प्रति केन (500 मि.ली.) जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में लिया जायेगा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.50 तक	₹31+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	₹1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	₹12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
27.50 से अधिक से 30.00 तक	₹32+ई.बी.पी. का 90 प्रतिशत	₹1.25+ई.बी.पी. का 1.8 प्रतिशत	₹12.25+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
30.00 से अधिक से 35.00 तक	₹33+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
35.00 से अधिक से 40.00 तक	₹35+ई.बी.पी. का 100 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
40.00 से अधिक से 45.00 तक	₹35+ई.बी.पी. का 105 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग
45.00 से अधिक	₹35+ई.बी.पी. का 110 प्रतिशत	₹1.5+ई.बी.पी. का 2 प्रतिशत	₹15+ई.बी.पी. का 10 प्रतिशत	कालम 1+2+3+4 का योग

नोट:- अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

शेष प्रक्रिया गतवर्ष की भांति रहेगी।

1. वर्ष 2025-26 में केग में बीयर (माइक्रोब्रिवरी से उत्पादित बीयर को छोड़कर) की आपूर्ति हेतु 15**,** 20, 25, 30 एवं 50 लीटर की धारिताओं को अनुमन्य किया जाता है, जिनकी ई.बी.पी. यवासवक द्वारा पृथक से प्रस्तुत की जायेगी जिसके आधार पर 500 एम.एल. केन के सापेक्ष उपरोक्तानुसार प्रतिफल शुल्क का आगणन किया जायेगा। केग में क्रय के मामलों में बार अनुज्ञापनों द्वारा जमा की जाने वाली स्पेशल फीस 500 एम.एल. केन पर निर्धारित स्पेशल फीस के समानुपाती होगी।

2. भारत निर्मित बीयर ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु यवासवनी/बाण्डधारक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹ 10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित ई.बी.पी. कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं बिहार (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड या उसके सामानान्तर ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम ई.बी.पी. के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की ई.बी.पी. वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित ई.बी.पी. एवं उसके द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित ई.बी.पी. का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में उत्तर प्रदेश से कम ई.बी.पी. नहीं प्रस्तुत की जायेगी। ई.बी.पी. प्रस्तुत करते समय इसके समस्त कम्पोनेंट का विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा और समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की अनुमोदित एम.आर.पी. से संबंधित समस्त विवरणों (कॉस्ट कार्ड) की तालिका भी प्रस्तुत की जायेगी। ई.बी.पी. के अनुमोदन में

निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की ई.बी.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

3. विभिन्न प्रदेशों में ई.बी.पी. में सम्मिलित किये जाने वाले मदों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक प्रदेश में लाइसेंस फीस, बॉटलिंग फीस, आयात फीस, ब्राण्ड पंजीकरण फीस, लेबुल अनुमोदन फीस, वैट/जी.एस.टी., परमिट फीस, स्पेशल फीस आदि भिन्न है। अतः ई.बी.पी. का मिलान करने हेतु इनका संज्ञान लिया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा। स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस ई.बी.पी. में सम्मिलित होगी। बीयर की ई.बी.पी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन हेतु ₹ 0.15 प्रति यूनिट सम्मिलित होगा। उपरोक्त ₹.0.15 में से ₹.0.09 विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। शेष प्राविधान प्रस्तर-5.1.7(3) के अनुसार रहेंगे।

500 एम.एल. धारिता हेतु दी गयी ई.बी.पी. के आधार पर अन्य धारिताओं की ई.बी.पी. का निर्धारण किया जाएगा एवं ई.बी.पी. का आगणन निम्नानुसार होगाः-

EBP of SKU* less than or equal to 500ML	EBP(Size of SKU)= [EBP(500)/500]*(Size of SKU)
EBP of SKU more than 500 ML	EBP(Size of SKU)= [{EBP(500)-2}/500]*(Size of SKU)

***SKU का आशय Stock Keeping Unit से है।**

5.4.2 बीयर से संबंधित अन्य व्यवस्थायें

(क) बीयर की शेल्फ लाइफ

वर्ष 2025-26 में प्रदेश में बिक्री हेतु आपूर्तित भारत निर्मित बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 09 माह निर्धारित की जाती है।

(ख) बोतलों/कैनों में भरी हुयी भारत निर्मित बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, एल पर आयात शुल्क ₹4.50/- प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

(ग) प्रदेश में स्थापित यवासवनियों को निर्यात करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफ.एल.-3 की निर्यात फीस को भी तर्कसंगत करते हुये निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र.सं.	अनुज्ञापन का प्रकार	2024-25 हेतु निर्यात पास फीस	2025-26 हेतु निर्यात पास फीस
		बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, एल	बीयर, ड्राट बीयर, पोर्टर, एल
1	एफ.एल.-3	₹2.00 प्रति ब.ली.	₹1.75 प्रति ब.ली.
2	एफ.एल.-3ए	₹2.00 प्रति ब.ली.	₹2.00 प्रति ब.ली.

प्रदेश में बीयर की आपूर्ति में कठिनाई आने पर आबकारी आयुक्त द्वारा बीयर के निर्यात पर यथोचित अवधि तक प्रतिबंध लगाया जाना अनुमन्य किया जाता है।

5.4.3 अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस

वर्ष 2025-26 में अन्य देशों से आयातित सभी तीव्रता की बीयर के लिये परमिट फीस की दर रूपया 175/- प्रति बल्क लीटर रखी जाती है।

5.4.4 माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर एवं अन्य व्यवस्थायें:-

माइक्रो ब्रिवरी द्वारा उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2025-26 में ₹.100/- प्रति ब.ली. निर्धारित किया जाता है।

5.5 मॉडल **शॉप्स और प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स**

5.5.1 मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस

(अ) मॉडल शॉप्स की वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तर-5.11(1)के अनुसार तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित की गयी वार्षिक लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये निर्धारित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त लाइसेंस फीस की धनराशि यदि रूपया 5,000/- के गुणक में नहीं पायी जाती है तो उसे बढ़ाकर रूपया 5,000/- के अगले स्तर पर राउण्ड ऑफ करके निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2023-24 में नवीनीकृत मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस संबंधित प्रास्थिति, निकाय के लिये नवसृजित मॉडल शॉप हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस से कम नहीं होने की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। उक्त निर्णय वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु मॉडल शॉप के परिसर का न्यूनतम आवश्यक कार्पेट क्षेत्र 400 वर्ग फुट निर्धारित किया जाता है।

(ब) यदि नगर निगम क्षेत्रों अथवा गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत किसी मॉडल शॉप के परिसर का कार्पेट क्षेत्र (प्रयुक्त समस्त तलों के क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये) 3,000 वर्ग फुट अथवा अधिक है तब अनुज्ञापी के आवेदन पर इस मॉडल शॉप को प्रीमियम मॉडल शॉप का अनुज्ञापन एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जा सकेगा तथा इसे अग्रेतर 02 वर्षों तक नवीनीकृत किया जायेगा। ऐसी मॉडल शाप्स की संख्या में से अधिकतम राजस्व(न्यूनतम निर्धारित प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व एवं लाइसेंस फीस का योग) वाली 02 दुकानों को ही एफ.एल.-4एए अनुज्ञापन प्रदान किया जायेगा। उक्त अनुज्ञापी को अतिरिक्त लाइसेंस फीस ₹ 20,00,000/-(रुपया बीस लाख मात्र) जमा करना होगा तथा उसके द्वारा प्रासेसिंग फीस, प्रतिभूति आदि समस्त देयताओं के अंतर की धनराशि भी जमा की जायेगी। इस संबंध में अन्य अर्हतायें आबकारी आयुक्त द्वारा पृथक से निर्धारित की जायेंगी। ऐसी प्रीमियम मॉडल शॉप का नवीनीकरण संबंधित वर्ष की देयताओं पर अनुज्ञापी की सहमति की दशा में ही किया जायेगा।

(स) प्रदेश के समस्त प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा नगर निगम क्षेत्रों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप द्वारा अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 5 प्रतिशत के समतुल्य समुद्रपार आयातित मदिरा की निकासी दुकान पर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(द) मॉडल शॉप और प्रीमियम मॉडल शॉप पर मदिरा पान का शुल्क रूपया 3,00,000/- निर्धारित किया जाता है।

5.5.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड

(1) प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण

वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों का वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस पर अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण कराया जा सकेगा। नवीनीकरण हेतु प्रासेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस जमा करके इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत किये जायेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा 7 कार्यदिवस के अंदर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेते हुये उपयुक्त पाये जाने पर अनुज्ञापी को लाइसेंस फीस जमा करने का निर्देश दिया जायेगा।

(2) लाइसेंस फीस

(**क**) वर्ष 2024-2025 में प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु रूपया पच्चीस लाख वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित है जिसे वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों की लाइसेंस फीस, वर्ष के अवशेष दिवसों के आधार पर समानुपातिक रूप से देय होगी।

(ख) किसी व्यक्ति, फर्म एवं कम्पनी को 02 से अधिक प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ग) माल्स के मल्टीप्लेक्स एरिया में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य नहीं होंगे।

(घ) माल्स में स्वीकृत बार अनुज्ञापनों के परिसर को छोड़कर अन्य कहीं मदिरा का उपभोग किया जाना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

(3) (**क**) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर वोदका एवं रम के ₹700/-प्रति 750 एम.एल. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 750 एम.एल. वाले ब्राण्डों और बीयर के ₹140/- प्रति 500 एम.एल. केन के एम.आर.पी. या इससे अधिक एम.आर.पी. प्रति 500 एम.एल. केन वाली ब्राण्ड की बिक्री की जायेगी। इस श्रेणी की अन्य धारिताओं के अनुमन्यता के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वोदका एवं रम की प्रति बोतल एवं बीयर प्रति केन निर्धारित दरों पर जो ब्राण्ड अनुमन्य हैं उन ब्राण्डों की सभी धारितायें बिक्री के लिये अनुमन्य होंगी।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर (क)आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्डों (ख) स्काच या इससे उच्च श्रेणी के भारत निर्मित विदेशी मदिरा ब्राण्डों एवं (ग) ब्राण्डी, जिन और वाइन के समस्त श्रेणियों की बिक्री अनुमन्य होगी।

(4) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों हेतु वर्ष 2025-26 में निम्न प्राविधान भी किये जाते हैं:-

(i) समस्त प्रकार के कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड में अनुमन्य होगी।

(ii) सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। इस आशय का प्रतिबंध कि हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन/रेलवे स्टेशन पर इनके मुख्य भवन में खुलने वाले प्रीमियम रिटेल वेण्ड का द्वार मुख्य भवन के अंदर की ओर होगा, को समाप्त किया जाता है।

(iii) प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों पर पृथक कक्ष में केवल वाइन टेस्टिंग की सुविधा अनुमन्य होगी और टेस्टिंग कक्ष में विक्रय प्रतिबंधित होगा।

(5) जनपद- गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु उपयुक्त पाये जाने वाले परिसरों के समान अन्य परिसरों में प्रीमियम रिटेल वेण्ड (एफ.एल.-4सी) हेतु अनुमन्य श्रेणी की वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री हेतु एक अन्य प्रकार के प्रीमियम रिटेल वेण्ड के लिये एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन भी स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन पर समस्त एम.आर.पी. की बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी। एफ.एल.-4डी लाइसेंस केवल मल्टीप्लेक्स युक्त शॉपिंग माल में स्थित दुकानों के परिसर हेतु ही स्वीकृत किये जायेंगे। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन की वार्षिक लाइसेंस फीस ₹6,00,000/-(रुपया छः लाख मात्र) निर्धारित की जाती है

परन्तु मध्य सत्र में व्यवस्थित होने वाले एफ.एल.-4डी अनुज्ञापन द्वारा देय लाइसेंस फीस का आगणन एफ.एल.-4सी की भॉति ही किया जायेगा। एफ.एल.-4डी अनुज्ञापनों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुज्ञापन सिनेमा हाल या सिनेमा हाल परिसर में अनुमन्य नहीं होगा तथा सिनेमा हाल में मदिरापान पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

5.6 कम्पोजिट दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप में मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान की अनिवार्यता

5.6.1 वर्ष 2025-26 हेतु कम्पोजिट दुकानों का वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) प्रस्तर-5.2.1 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और मॉडल शॉप का न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व, वर्ष 2024-25 में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व पर 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ निर्धारित किया जायेगा। वर्ष 2025-26 में नवसृजित कम्पोजिट दुकानों एवं मॉडल शॉप का यथास्थिति वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) अथवा वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के आधार पर दुकानों हेतु मासिक राजस्व/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

(क) मॉडल शॉप एवं प्रीमियम मॉडल शॉप का मासिक प्रत्याभूत राजस्व**,** वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/12 भाग होगा। परन्तु प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का विभाजन त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा जो एक समान वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का 1/4 भाग होगा।

(ख) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) का मासिक विभाजन निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	**माह**	**न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का प्रतिशत**
1.	अप्रैल	7 प्रतिशत
2.	मई	10 प्रतिशत
3.	जून	8 प्रतिशत
4.	जुलाई	6 प्रतिशत
5.	अगस्त	6 प्रतिशत
6.	सितम्बर	6 प्रतिशत
7.	अक्टूबर	10 प्रतिशत
8.	नवम्बर	10 प्रतिशत
9.	दिसम्बर	10 प्रतिशत
10.	जनवरी	10 प्रतिशत
11.	फरवरी	9 प्रतिशत
12.	मार्च	8 प्रतिशत

(ग) कम्पोजिट दुकानों के वार्षिक एम.जी.आर.(बीयर) का त्रैमासिक विभाजन निम्नवत् किया जायेगा:-

क्र.सं.	**माह**	**न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का प्रतिशत**
1.	प्रथम त्रैमास	38 प्रतिशत
2.	द्वितीय त्रैमास	26 प्रतिशत
3.	तृतीय त्रैमास	17 प्रतिशत
4.	चतुर्थ त्रैमास	19 प्रतिशत

प्रथम त्रैमास में न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी को द्वितीय त्रैमास तक पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा परन्तु इस हेतु निर्धारित प्रशमन धनराशि जमा करने पर जिला आबकारी अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अग्रेतर त्रैमासों में भी न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी को प्रशमन धनराशि जमा करते हुये जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से अगले त्रैमास में पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा और साथ ही बीयर के न्यूनतम त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के उठान में कमी के प्रकरणों में प्रस्तर-5.6.3 के भी प्राविधान लागू होंगे।

5.6.2 मॉडल शॉप, प्रीमियम मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेण्ड के वार्षिक/मासिक/ त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व में विदेशी मदिरा तथा बीयर और एल्.ए.बी. इत्यादि का राजस्व सम्मिलित माना जाएगा।

5.6.3 किसी भी माह/त्रैमास हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी लिये जाने के प्राविधान का पालन न किये जाने की स्थिति में यह व्यवस्था की जाती है कि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु 10 दिवस का अवसर दिया जायेगा और तत्पश्चात अतिरिक्त प्रतिभूति जमा न होने की स्थिति में दुकान के अनुज्ञापन के, लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार, निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी और कुल राजस्व क्षति की नियमानुसार वसूली की जायेगी। दुकान पर उपलब्ध अविक्रीत स्टाक को जब्त कर लिया जायेगा। संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु निर्धारित प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य निकासी एवं पिछले माह/त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी अनुज्ञापी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक निर्धारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य निकासी ले लिये जाने पर पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में अविलम्ब वापस कर दी जायेगी। अगले माह/त्रैमास में आवश्यक राजस्व (पिछले माह/त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।

5.7 समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की आपूर्ति

5.7.1 वर्ष 2025-26 में समुद्रपार आयातित मदिरा की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) आयातक इकाई का तात्पर्य वैध आयात/निर्यात प्रमाण पत्र (आई.ई.सी.) धारक से है।

(2) समुद्रपार आयातित मदिरा का आयात करने वाली ऐसी समस्त आयातक इकाइयों (क) जो प्रदेश में सीधे अपने किसी कस्टम बॉण्ड में आयात कर अथवा (ख) अन्य प्रांतों में स्थित किन्हीं अन्य आयातक इकाइयों के कस्टम बाण्डों से स्थानांतरण प्राप्त कर अथवा (ग) अन्य प्रांतों

में स्थित किसी आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को स्थानांतरण कर अथवा (घ) प्रदेश में स्थित किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा का स्थानांतरण कर अथवा (ङ) प्रदेश में समुद्रपार आयातित मदिरा का किसी प्रकार से कार्य करती हों, को उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के विहित पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। आयातक इकाई एवं उसके किसी एक कस्टम बॉण्ड के युग्म का एक पंजीकरण किया जायेगा।

(3) आयातक इकाइयों को आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रूपया 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) निर्धारित किया जाता है जो ऑनलाइन जमा किया जायेगा।

(4) आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत आयातक इकाइयों को परस्पर प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश से बाहर अथवा प्रदेश के बाहर से प्रदेश के अंदर कस्टम बॉण्ड से कस्टम बॉण्ड समुद्रपार मदिरा का स्थानांतरण/लेन-देन/व्यापार आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर भरा जाना अनिवार्य होगा।

(5) प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड के माध्यम से समुद्रपार आयातित मदिरा का व्यवसाय करने वाली आयातक इकाइयों को प्रदेश के थोक अथवा विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री करने हेतु बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन लेना अनिवार्य होगा।

(6) **(क)** बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का लाइसेंस शुल्क ₹10,00,000/-(रूपया दस लाख मात्र) एक आबकारी वर्ष अथवा इसके किसी भाग के लिये निर्धारित किया जाता है। प्रतिभूति धनराशि ₹5,00,000/- (रूपया पॉच लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

(ख) आपूर्ति को सुचारु बनाये जाने के उददे्श्य से(चूँकि पारेषण अत्यंत छोटे होते हैं) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों को प्रदेश में न्यूनतम 3 मास्टर गोडाउन, जहाँ डिबॉण्डेड (समस्त देय भुगतानित) समुद्रपार आयातित मदिरा संचित की जा सकेगी और जहाँ से विहित फुटकर दुकानों और थोक अनुज्ञापनों को आपूर्ति की जा सकेगी, लेना अनुमन्य किया जाता है। ऐसे प्रत्येक मास्टर गोडाउन को बी.आई.ओ.-1(बी) अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा जो पैत्रिक बी.आई.ओ.-1/बी.आइ.ओ.-1ए से ही संबद्ध होंगे और इन्हीं बी.आई.ओ.-1/बी.आइ.ओ.-1ए से पारेषण प्राप्त किये जा सकेंगे। थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों द्वारा अपने मांग पत्र पैत्रिक बी.आई.ओ.-1/बी.आइ.ओ.-1ए पर ही प्रस्तुत किये जायेंगे।

(7) किसी जनपद के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के अंतर्गत उसी जनपद में स्थित मात्र एक कस्टम बॉण्ड ही संबद्ध किया जायेगा परन्तु किसी एक कस्टम बॉण्ड में एक से अधिक आयातक इकाइयों द्वारा पृथक-पृथक स्पेस आवंटित कराकर उन्हें अपने बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों से संबद्ध कराया जा सकता है।

(8) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के अंतर्गत अपेक्षित सूचनाओं के अतिरिक्त संबद्ध किये जाने वाले कस्टम बॉण्ड का अपेक्षित विवरण एवं इसमें स्पेस आवंटित होने का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन के संचालन हेतु एक डिबॉण्डेड मदिरा का गोदाम अनिवार्य होगा जिसका परिसर उसी जनपद में तथा संबद्ध कस्टम बॉण्ड के परिसर से बाहर होगा। बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन का संचालन उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) एवं समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाना अनिवार्य होगा।

(9) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत समस्त आयातक इकाइयों द्वारा

प्रदेश में स्थित अपने बी.आई.ओ.-1 से प्रदेश के बाहर के किसी थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता (कस्टम बॉण्ड को छोड़कर) जिसके पास वैध आयात परमिट हो, को कस्टम ड्युटी पेड मदिरा के निर्यात हेतु संबंधित जिला आबकारी अधिकारी से ऑनलाइन निर्यात परमिट अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा संबंधित मदिरा की निकासी (निर्यात) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल द्वारा निर्गत परिवहन पास के माध्यम से ही की जायेगी। उपरोक्त निर्यात (कस्टम बॉण्ड से अन्य कस्टम बॉण्ड की आपूर्ति को छोड़कर) पर ₹ 300/- प्रति बल्क लीटर परमिट फीस देय होगी।

(10) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश में स्थित अपने कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य आयातक इकाई के कस्टम बॉण्ड को मदिरा के स्थानांतरण हेतु पोर्टल पर अपेक्षित समस्त सूचनाओं को भरा/अपलोड किया जायेगा तथा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी का नि:शुल्क अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(11) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रदेश के बाहर की किसी आयातक इकाई जो उत्तर प्रदेश के विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत हों, से ही पोर्टल पर विहित प्रक्रिया के अनुसार बॉण्ड टु बॉण्ड मदिरा का स्थानांतरण प्राप्त करना होगा अथवा स्थानांतरित करना होगा तथा इस हेतु प्रदेश मे स्थित इकाई को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(12) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को विदेश से सीधे मदिरा आयात किये जाने की स्थिति में पोर्टल पर विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को सूचित करना होगा।

(13) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को अपने कस्टम बॉण्ड में प्राप्त मदिरा एवं इसकी निकासी का वांछित विवरण, अपेक्षित प्रपत्रों के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को समुद्रपार आयातित मदिरा की बिक्री किये जाने वाले समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों का प्रत्येक बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन वार अनुमोदन/पंजीकरण निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया एवं निर्धारित शुल्क जमा करते हुये, कराया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु ब्राण्ड स्वामी अथवा भारत में संबंधित ब्राण्ड के प्रमुख आयातक/ब्राण्ड स्वामी का प्राधिकार पत्र अनिवार्य नहीं होगा। इस हेतु भारत सरकार से निर्गत ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इस हेतु विदेश से निर्गत कोई समकक्ष प्रमाण पत्र ही आवश्यक होगा परन्तु किसी विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(15) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों के प्रदेश में स्थित कस्टम बाण्डों में संचित किये जाने वाले ऐसे समस्त ब्राण्डों एवं लेबिलों, जिनकी बिक्री उत्तर प्रदेश के थोक अनुज्ञापनों एवं विहित फुटकर अनुज्ञापनों को नहीं की जानी होगी, का भी ऑनलाइन अनुमोदन/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह अनुमोदन/पंजीकरण नि:शुल्क होगा।

(16) उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत एवं उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त आयातक इकाइयों को प्रत्येक कस्टम बॉण्ड टु कस्टम बॉण्ड निकासी से संबंधित रीवेयरहाउसिंग प्रमाण पत्र पोर्टल पर नियत समयावधि में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रदेश के किसी कस्टम बॉण्ड से किसी अन्य कस्टम बॉण्ड हेतु जाने वाले समस्त पारेषणों को उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा निर्गत एफ.एल.-36 परिवहन पास के अंतर्गत ही प्रेषित किया जायेगा।

(17) समुद्रपार विदेशी मदिरा अथवा बीयर के पारेषण छोटे होते हैं अत: बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापन से कई गंतव्य स्थानों हेतु एक ही वाहन से मदिरा का परिवहन किये जाने की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

(18) वर्ष 2025-26 हेतु गतवर्ष के बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों का नवीनीकरण उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत कराया जाना अनुमन्य होगा। नवीनीकरण फीस ₹ 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) निर्धारित की जाती है। नये बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹ 1,00,000/- (रूपया एक लाख मात्र) होगी। नवीनीकरण के मामलों में प्रासेसिंग फीस नहीं ली जायेगी।

(19) यदि उत्तर प्रदेश के किसी कस्टम बाण्ड के माध्यम से मदिरा व्यवसाय करने वाली आयातक इकाई द्वारा विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तब उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(20) बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापी यदि किसी अन्य नगर निगम के जनपद अथवा मण्डल मुख्यालय के जनपद में भी अनुज्ञापन लेना चाहता है तब उसे बी.आई.ओ.-1 ए अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस ₹ 5,00,000/- (रूपया पाँच लाख मात्र) होगी। इस लाइसेंस को बी.आई.ओ.-1 की समस्त सुविधायें प्राप्त होंगी।

5.7.2 समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की एम. आर. पी. एवं परमिट फीस

वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. की एम.आर.पी.का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

(1) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की एम.आर.पी.

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्जेज (₹)	बी.आई.ओ -1 का लाभांश (₹)	कस्टम ड्यूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	विदेशी मदिरा के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹90+एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	4+5+6+7+8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

नोट:-अन्य धारिताओं हेतु परमिट फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(2) समुद्र पार आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल (750 एम.एल.)	**वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित परमिट फीस**
₹0 से 600 तक	₹400 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 40 प्रतिशत
₹600 से अधिक से 1500 तक	₹650 + एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 30 प्रतिशत
₹1500 से अधिक से 3000 तक	₹1000+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 20 प्रतिशत
₹3000 से अधिक	₹1500+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 10 प्रतिशत

(3) समुद्रपार आयातित बीयर की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा

सी.आई.एफ. मूल्य (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्जेज (₹)	बी.आई.ओ.-1 का लाभांश (₹)	कस्टम ड्यूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 110 प्रतिशत	1+2+3	₹ 175/- प्रति ब.ली.	आयातक द्वारा प्रस्तावित	आयातक द्वारा प्रस्तावित	4+5+6+7+8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

(4) समुद्रपार आयातित वाइन की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा

सी.आई. एफ. मूल्य	घोषित कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्जेज	घोषित बी.आई.ओ.-1 का लाभांश	कस्टम ड्यूटी	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस	थोक विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (प्रति 750 एम.एल.)	अधिकतम खुदरा मूल्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ. मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	प्रस्तर 5.3.2(ख) अनुसार	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (750 एम.एल.) का 3.00% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹90.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (750 एम.एल.) का 10 प्रतिशत (यथावश्यकता अनुपातिक)	4+5+6+7+8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष

								प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

नोट:- अन्य धारिताओं हेतु **प्रतिफल** फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(5) समुद्रपार आयातित एल.ए.बी. की एम.आर.पी. का निर्धारण निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जायेगा:-

सी.आई.एफ. मूल्य प्रति बोतल (₹)	कस्टम बाण्ड हैंडलिंग चार्जेज (₹)	बी.आई.ओ.-1 का लाभांश (₹)	कस्टम ड्यूटी (₹)	एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य (₹)	परमिट फीस (₹)	थोक विक्रेता का मार्जिन (₹)	फुटकर विक्रेता का मार्जिन (₹)	अधिकतम खुदरा मूल्य (₹)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	आयातक द्वारा घोषित	सी.आई.एफ मूल्य का 150 प्रतिशत	1+2+3	LAB के मामले में संबंधित तालिका के अनुसार (यथावश्यकता समानुपातिक)	₹5.00+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 4.50% (यथावश्यकता अनुपातिक)	₹50+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 11% (यथावश्यकता अनुपातिक)	4+5+6+7+8 का योग (जिसे ₹10 के अगले गुणांक तक राउण्ड ऑफ कर अंतर की धनराशि को अतिरिक्त परमिट फीस के रूप में लिया जायेगा। साथ ही विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क भी लिया जायेगा)

एल.ए.बी. की परमिट फीस

यथा घोषित एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य प्रति बोतल	**वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित परमिट फीस**
(750 एम.एल.)	**(750 एम.एल.)**
₹ 0 से 150 तक	₹125+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 50 प्रतिशत
₹150 से अधिक	₹125+ एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य का 100 प्रतिशत

नोट:-अन्य धारिताओं हेतु प्रतिफल फीस, थोक/फुटकर विक्रेता का मार्जिन समानुपातिक आधार पर आगणित किया जायेगा।

(6) घोषित सी.आई.एफ., मूल्य पंजीकरण के विगत 3 माह के औसत के आधार पर होगा। यदि विगत 3 माह का औसत प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध न हों तब विगत 12 माह के औसत के आधार पर सी.आई.एफ. मूल्य घोषित किया जायेगा, परन्तु इस प्रक्रिया में यह

सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी प्रकार की राजस्व हानि न हो। स्पेशल फीस एवं ट्रैक ऐण्ड ट्रेस क्रियान्वयन फीस एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य में सम्मिलित होगी।

(7) यदि बी.आई.ओ.-1/1ए द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. की बिक्री सीधे प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं मॉडल शॉप को की जाती है तब एम.आर.पी. निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित थोक विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा। बार को सीधे बिक्री के प्रकरणों में थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन के समतुल्य धनराशि को प्रतिफल शुल्क के शीर्षक के अंतर्गत राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(8) समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा ब्राण्ड के मूल्य निर्धारण हेतु आयातक इकाई को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का ₹ 10/- के नॉनजुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि संबंधित ब्राण्ड के लिये उनके द्वारा घोषित एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य, कास्ट एकाउटेन्ट अथवा कम्पनी सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित है, जो उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चण्डीगढ़, उत्तराखण्ड, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश (सम्प्रति बिहार में मद्यनिषेध है) में घोषित संबंधित ब्राण्ड के लिये घोषित न्यूनतम एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य के समतुल्य अथवा उससे कम है। उल्लिखित निकटवर्ती राज्यों में यदि किसी ब्राण्ड की एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य वर्ष 2025-26 हेतु अनुमोदित नहीं करायी गयी है तब उत्तर प्रदेश राज्य में गत वर्ष की अनुमोदित एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य एवं उसके द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य का संज्ञान लेकर आबकारी आयुक्त द्वारा एम.आर.पी. का निर्धारण किया जायेगा, परन्तु उत्तर प्रदेश में एम.आर.पी. का अनुमोदन हो जाने के उपरांत अन्य समीपवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड की उत्तर प्रदेश से कम एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य नहीं प्रस्तुत की जायेगी। वर्ष 2025-26 में सी.आई.एफ. और मार्जिन दोनों का भी परीक्षण किया जायेगा। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि जांच में अभिकथन असत्य पाये जाने पर रूपया एक लाख तक का अर्थ दण्ड आरोपित करते हुये ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जायेगा।

एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य के अनुमोदन में निकटवर्ती राज्यों में संबंधित ब्राण्ड के वास्तविक बिक्री मूल्य/न्यूनतम बिक्री मूल्य/अधिकतम बिक्री मूल्य का संज्ञान भी लिया जायेगा ताकि प्रदेश के राजस्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी ब्राण्ड की एक्स कस्टम बॉण्ड मूल्य अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(9) नेपाल निर्मित बीयर एवं भूटान निर्मित मदिरा एवं बीयर के आयात को देश के अन्य राज्यों की भॉति आयात/निर्यात माना जाएगा।

(10) समुद्रपार आयातित मदिरा के ब्राण्डों के विभिन्न वैरियेंट्स उनके मेच्योरेशन अवधि के आधार पर मान्य होंगे।

(11) समुद्रपार आयातित मदिरा की ई.सी.बी.वी. में बार-कोड तथा क्यू.आर.कोड ऐप्लीकेशन में ₹ 0.15 प्रति यूनिट तथा ₹ 0.35 ट्रैक एण्ड ट्रेस फीस भी सम्मिलित होगी। उपरोक्त ₹ 0.15 में से ₹ 0.09 राजकोष में जमा करना होगा। विभाग द्वारा खोले गये बैंक खाते में जमा करना होगा। इस हेतु कट-आफ तिथि का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा। यह खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा तथा इसके संचालन का अधिकार शासन द्वारा नामित अधिकारियों को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। शेष प्राविधान प्रस्तर-5.1.7(3) के अनुसार रहेंगे।

5.8 भांग

5.8.1 लाइसेंस फीस

भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस, प्रस्तर-5.11(1)के अनुसार तर्कसंगत रूप से पुनर्आवंटित की गयी लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुये ₹1,000/- के अगले गुणक में निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024-25 में जिन भांग दुकानों का नियमित व्यवस्थापन नहीं हो सका उन्हें समाप्त किया जाता है।

5.8.2 भांग की निर्यात फीसः-

वर्ष 2025-26 हेतु भांग की अन्य प्रांतों हेतु निर्यात फीस को ₹ 30/- प्रति किलोग्राम रखा जाता है।

5.8.3 भांग की थोक आपूर्ति

वर्ष 2024-25 में भांग की थोक आपूर्ति के संबंध में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में इस संबंध में कोई नवीन व्यवस्था लागू होने तक यथावत रखा जाता है। भांग की थोक आपूर्ति हेतु आपूर्तकों के चयन और प्राप्त दरों का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

5.9 कम्पोजिट दुकानों, भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप का सृजन

5.9.1 वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित कम्पोजिट दुकानों एवं वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित देशी मदिरा, मॉडल शॉप, की कुल दुकानों के 3 प्रतिशत तक के समतुल्य दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया जाता है। इससे अधिक की आवश्यकता पड़ने पर शासन की अनुमति से नई दुकानों का सृजन किया जा सकेगा।

5.9.2 नवसृजित देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू./बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस

5.9.2.1 वर्ष 2025-26 हेतु असेवित क्षेत्र में नवसृजित देशी मदिरा की दुकानों का न्यूनतम एम.जी.क्यू. एवं नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	**नवसृजित दुकान की प्रास्थिति**	**न्यूनतम एम.जी.क्यू. (36 प्रतिशत वी./वी.) (ब.ली.में) एवं यथास्थिति लाइसेंस फीस-3**	**न्यूनतम लाइसेंस फीस (₹)**
		देशी मदिरा	**कम्पोजिट दुकान**
1.	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	1-एम.जी.क्यू.-26,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-5.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹13,60,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹2,60,000/-
2.	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि तक	1-एम.जी.क्यू.-19,000 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-5.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹4,65,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹1,40,000/-
3.	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि तक	1-एम.जी.क्यू.-11,500 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-5.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹2,25,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹85,000/-
4.	ग्रामीण	1-एम.जी.क्यू.-6,600 2-लाइसेंस फीस-3-प्रस्तर-5.1.3(ख) के अनुसार	1-लाइसेंस फीस-1-₹1,20,000/- 2-लाइसेंस फीस-2-₹75,000/-

नोट:- 1-नवसृजित कम्पोजिट दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण के साथ ही उनकी लाइसेंस फीस-1 तथा लाइसेंस फीस-2 का निर्धारण करते हुये तदनुसार एम.जी.आर.(एफ.एल.) एवं एम.जी.आर. (बीयर) का निर्धारण भी किया जायेगा।

2- नवसृजित देशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन के पश्चात अनुज्ञापी के आवेदन करने पर ही लाइसेंस फीस-3 का निर्धारण करते हुये तदनुसार एम.जी.आर.(सीएल-बीयर) भी निर्धारित किया जायेगा।

5.9.2.2 नवसृजित मॉडल शॉप की लाइसेंस फीसः-

वर्ष 2025-26 हेतु नवसृजित मॉडल शॉप्स की लाइसेंस फीस गतवर्ष की भॉति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	निकाय	लाइसेंस फीस (रूपये में)
1.	लखनऊ एवं गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र तथा नोयडा ग्रेटर नोयडा के प्राधिकरण क्षेत्र के लिये	न्यूनतम ₹75.00 लाख।
2.	अन्य नगर निगम क्षेत्रों के लिये	न्यूनतम ₹65.00 लाख।
3.	अन्य स्थानों पर स्थित मॉडल शॉप्स के लिये	न्यूनतम ₹22.00 लाख।

प्रतिभूति धनराशि कम्पोजिट दुकानों की भॉति लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

5.10 देशी मदिरा दुकानों, कम्पोजिट दुकानों एवं भांग की फुटकर दुकानों और प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा मॉडल शॉप का वर्ष 2025-26 हेतु व्यवस्थापन/नवीनीकरण

वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापनों का, अनुज्ञापी के आवेदन पर वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित देयताओं/प्रतिबंधों के अधीन, नवीनीकरण किया जायेगा। देशी मदिरा दुकानों**,** कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

5.10.1 प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों का वर्ष 2025-26 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जायेगा-

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2. वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को ₹10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप **(संलग्नक-2)** पर देना होगा।

पूर्व के भवन/परिसर की अनुपलब्धता की स्थिति में दुकानों का नवीनीकरण इस शर्त के साथ कि उक्त दुकान की अवस्थिति में परिवर्तन न हो, परिवर्तित चौहद्दी पर भी किया जा सकता है, और इस संबंध में लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

5.10.2 प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण की प्रक्रिया का निर्धारण

(क) संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और जनपद की वेबसाइट पर संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसका सामान्य प्रारूप आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रकाशित कराकर जनपद की व्यवस्थित और नवीनीकरण हेतु अर्ह प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि दुकानों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, जनपद की वेबसाइट, ई-लॉटरी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(ख) वर्ष 2024-25 की अर्ह प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **संलग्नक-2** है, अपलोड किया जायेगा तथा प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण फीस की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस वर्ष 2025-26 हेतु ₹75,000/- निर्धारित की जाती है। नवीनीकरण फीस भी ₹75,000/- निर्धारित की जाती है।

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 03 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को नवीनीकरण शुल्क तथा दुकान की वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत धनराशि बैंक/कोषागार के 03 कार्य दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि अगले 15 दिवस में अनुज्ञापी को जमा करना अनिवार्य होगा।

(ग) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति जो 2025-26 के लिये अग्रेनीत की जानी थी, का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी दुकान का वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण संपन्न होने के पश्चात वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापन की शर्तों के उल्लंघन अथवा अन्य किसी अनियमितता से उस दुकान का अनुज्ञापन वर्ष 2024-25 में निरस्त कर दिया जाता है तब उस दुकान के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु जमा लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति का अंतर (यदि जमा किया गया हो) राज्य सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जायेगा परन्तु नवीनीकरण एवं प्रासेसिंग फीस वापस नहीं होगी।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नवीनीकरण कराने के पश्चात दुकान को उचित अवस्थिति में खोलने और संचालित करने का संपूर्ण दायित्व अनुज्ञापी का होगा।

5.11 ई-लाटरी द्वारा दुकानों का व्यवस्थापन

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं मॉडल शॉप का दुकानवार व्यवस्थापन वर्ष 2018-19 में ई-लाटरी के माध्यम से किया गया था। इसी वर्ष भॉग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नीलामी/सह-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया गया था। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदाओं, स्थानीय तथा आम निर्वाचन संबंधी बाध्यताओं के कारण दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2018-19 से वर्ष 2024-25 तक किया जाता रहा है। दुकानों के व्यवस्थापन में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सभी को समान अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से तथा व्यापक राजस्व हित में वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा की समस्त दुकानों, कम्पोजिट दुकानों, भांग की दुकानों, सभी मॉडल शॉप (प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों को छोड़कर) का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानवार किया जायेगा।

अनुज्ञापियों के व्यवसाय में स्थायित्व लाने, दुकानों में किये जाने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने तथा राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में ई-लाटरी द्वारा व्यवस्थित समस्त दुकानों का वर्ष 2026-27 हेतु नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा। प्रस्तर 5.5.1(ब) में उल्लिखित प्रीमियम मॉडल शॉप्स को निर्धारित देयताओं एवं प्रतिबंधों/शर्तों पर नवीनीकरण कराने का विकल्प वर्ष 2026-27 के साथ वर्ष 2027-28 के लिये भी उपलब्ध होगा। वर्ष 2026-27 तथा प्रीमियम

मॉडल शॉप की स्थिति में वर्ष 2027-28 हेतु नवीनीकरण किये जाने की अनुमन्यता पर अंतिम निर्णय लिये जाने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के पास रहेगा।

तद्क्रम में वर्ष 2024-25 हेतु अपनायी गयी ई-लॉटरी प्रक्रिया में निम्नलिखित सीमा तक संशोधन किया जाता है:-

5.11(1) ई-लाटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं कम्पोजिट दुकानों को छोड़ते हुये, अन्य समस्त फुटकर दुकानों के एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस को संबंधित दुकान की गत 03 वर्षों में हुयी बिक्री, एम.जी.क्यू./एम.जी.आर. के अंतरण व नवीनीकरण को संज्ञान में लेते हुये तर्क संगत ढंग से पुनर्आवंटित किया जायेगा। किसी भी दुकान के वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थित एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस आदि को इसके 70 प्रतिशत से कम निर्धारित नहीं किया जायेगा परन्तु किसी भी दुकान के वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थित एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस में वृद्धि हेतु कोई सीमा नहीं होगी। उक्त कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर सम्पादित की जायेगी तथा इस प्रक्रिया को ससमय पारदर्शी तथा निष्पक्ष रूप से एवं राजस्वहित में क्रियान्वयित करने का संपूर्ण उत्तर दायित्व संबंधित जिला आबकारी अधिकारी तथा संबंधित आबकारी निरीक्षक का होगा। संबंधित उप आबकारी आयुक्त तथा संयुक्त आबकारी आयुक्त इस प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष रूप से तथा राजस्वहित में सुनिश्चित कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। यदि किसी दुकान का वार्षिक एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस को 70 प्रतिशत से कम किया जाना आवश्यक पाया जाय तब इस पर संबंधित उप आबकारी आयुक्त की संस्तुति के आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में किसी भी दुकान का वार्षिक एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस आदि को 50 प्रतिशत से कम नहीं किया जा सकेगा। न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस की वृद्धि हेतु प्रत्येक दुकान के लिये एक समान प्रतिशत दर की अनिवार्यता नहीं होगी। इस तर्कसंगत पुनर्आवंटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी भी जनपद का देशी मदिरा दुकानों के संबंध में कुल व्यवस्थित वार्षिक एम.जी.क्यू. वर्ष 2024-25 और भॉग दुकानों सहित मॉडल शॉप की कुल व्यवस्थित लाइसेंस फीस और न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व वर्ष 2024-25 से कम नहीं होगा।

(2) उक्त उपप्रस्तर-(1) की कार्यवाही करने के पश्चात इस आबकारी नीति के प्रस्तर 5.1.2, 5.6.1 एवं 5.8.1 के अनुसार (कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) अन्य दुकानों के एम.जी.क्यू./न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/लाइसेंस फीस आदि में वृद्धि करते हुये वर्ष 2025-26 हेतु इनका निर्धारण वर्ष 2025-26 की नीति के अनुसार किया जायेगा। कम्पोजिट दुकानों के संबंध में वर्ष 2025-26 हेतु लाइसेंस फीस एवं न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व का निर्धारण प्रस्तर-5.2.1 के अनुसार रहेगा।

(3) किसी दुकान के लिये किसी आवेदक द्वारा 01(एक) ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन पर पृथक-पृथक प्रासेसिंग फीस देय होगी। एक दुकान हेतु 01 से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाये जाने पर 01 से अधिक समस्त अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त करते हुये इनकी प्रासेसिंग फीस समपहृत कर ली जायेगी।

(4) एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे, किन्तु एक आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 02 दुकानें ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी। यह 02 दुकानें एक ही जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में भी आवंटित हो सकेगीं। इस हेतु

एन.आई.सी. के ई-लॉटरी पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे। अनुज्ञापी की मृत्यु के फलस्वरूप विधिक वारिस के पक्ष में अनुज्ञापन के नामांतरण वाले मामलों में उक्त प्रतिबंध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

(5) ईज़ आफ डूइंग बिजिनेस की दृष्टि से ई-लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को पोर्टल पर अपलोड करने और बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान समाप्त किया जाता है।

(6) आवेदन पत्र के साथ आवेदक को अपना नॉमिनेशन शपथ-पत्र तथा नॉमिनी का सहमति शपथ पत्र ई-लॉटरी पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। इस हेतु एन.आई.सी. के ई-लॉटरी पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे।

(7) आवेदकों के पैन के अधिप्रमाणन की ऑनलाइन सुविधा सक्षम संस्था से ई-लॉटरी पोर्टल पर प्राप्त की जायेगी।

(8) पूर्व आवेदकों/अनुज्ञापियों द्वारा ई-लाटरी पोर्टल पर वर्ष 2024-25 हेतु किये गये पंजीकरण के आधार पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जायेंगें वरन् नये सिरे से समस्त आवेदकों को ई-लॉटरी पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

(9) वर्ष 2025-26 हेतु दुकानों की प्रासेसिंग फीस का निर्धारण निम्नवत किया जाता है:-

क्र.सं.	**फुटकर दुकान का प्रकार**	**आवेदन पत्र की प्रासेसिंग फीस (रुपये में)**				
		जनपद गौतमबुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों एवं इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम आच्छादित क्षेत्र व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-1)	श्रेणी-1 को छोड़कर अन्य नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-2)	नगर पालिका व इसकी सीमा से 03 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-3)	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि.मी. की परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-4)	ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें (श्रेणी-5)
1	देशी मदिरा	₹65,000/-	₹60,000/-	₹50,000/-	₹45,000/-	₹40,000/-
2	कम्पोजिट दुकान	₹90,000/-	₹85,000/-	₹75,000/-	₹65,000/-	₹55,000/-
3	मॉडल शॉप	₹1,00,000/-	₹90,000/-	₹80,000/-	₹70,000/-	₹60,000/-
4	भांग	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-	₹25,000/-

उक्त प्रासेसिंग फीस नॉन-रिफन्डेबुल होगी।

5.11.1 ई-लॉटरी का प्रथम चरण वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू./लाइसेंस फीस/वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व (जिसका मासिक/त्रैमासिक विभाजन प्रस्तर-5.6.1 के अनुसार किया जायेगा) पर होगा।

प्रतिभूति निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से विलम्ब शुल्क आरोपित होगा। विलम्ब शुल्क सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति जमा न करने पर आवंटन/अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जायेगा।

5.11.3 (क) ई-लॉटरी से व्यवस्थित होने वाली दुकान की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 10 दिवस के अंदर, 30 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 25 दिवस के अंदर एवं अवशेष 20 प्रतिशत ई-लॉटरी की तिथि से 35 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। इस समय सारिणी से विचलन की स्थिति की दशा में ऊपरिवर्णित दर से प्रतिदिवस विलम्ब शुल्क आरोपित होगा। राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति के रूप में केवल ऑनलाइन सत्यापन योग्य एवं आबकारी आयुक्त अथवा जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी ही स्वीकार की जायेगी। इस हेतु एन.आई.सी. द्वारा यथाशीघ्र ई-लॉटरी पोर्टल पर इस हेतु आवश्यक सुविधा विकसित की जायेगी। चूँकि यह प्रणाली प्रथम बार क्रियान्वित की जा रही है अत: राजस्व हित में विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त को अधिकृत किया जाता है। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसका वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप मे जमा हुयी हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) ई-लॉटरी का प्रत्येक चरण सम्पूर्ण प्रदेश में एक ही दिन में संपन्न कराया जाएगा। ई-लॉटरी प्रणाली से दुकानों का व्यवस्थापन गत वर्ष की भांति एन.आई.सी. के माध्यम से कराया जाएगा। ई-लाटरी से संबंधित सुसंगत सूचना को आबकारी विभाग की वेबसाइट के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

(**ग**) ई-टेण्डर के पश्चात कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस के व्यवस्थापन हेतु जिले में आवश्यक नयी दुकानों का सृजन कर कुल अव्यवस्थित एम.जी.क्यू. अथवा लाइसेंस फीस को व्यवस्थित कराने हेतु अग्रेतर चरण का व्यवस्थापन कराया जायेगा। इस हेतु अव्यवस्थित/नवसृजित देशी मदिरा दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस रूपया 32/- प्रति लीटर एम.जी.क्यू. (पुनर्आवंटित) के आधार पर निर्धारित की जायेगी। अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों के मध्य अव्यवस्थित कुल वार्षिक प्रत्याभूत राजस्व/ एम.जी.आर. (एफ.एल.) एवं एम.जी.आर.(बीयर) का पुनर्आवंटन तर्कसंगत ढंग से किया जायेगा।

(**घ**) उपरोक्त उप प्रस्तर-(ख) से आच्छादित अव्यवस्थित एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और ई-लॉटरी के अंतिम चरण के पश्चात व्यवस्थापन का एक अंतिम प्रयास किया जायेगा और जनपद की अवशेष समस्त अव्यवस्थित दुकानों को ई-टेण्डर से व्यवस्थित कराया जायेगा तत्पश्चात अव्यवस्थित समस्त दुकानें समाप्त हो जायेंगी।

(ङ) **दुकानों को दैनिक आधार पर चलाया जाना**

फुटकर दुकानों के दैनिक आधार पर संचालन के संबंध में वर्ष 2024-25 की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्वहित में दैनिक व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्राप्त एकल ऑफर भी स्वीकार किये जायेंगे। यह ऑफर कम से कम निर्धारित देयताओं के समतुल्य होना चाहिये। यदि लगातार 2 बार ऑफर मांगने की प्रक्रिया में भी निर्धारित देयताओं के समतुल्य आफर प्राप्त नहीं होता है तब तीसरे चरण में राजस्वहित में निर्धारित देयताओं से कम के ऑफर भी स्वीकार किये जाने का अधिकार लाइसेंस प्राधिकारी को प्रदान किया जाता है। किसी भी स्थिति में निर्धारित देयताओं के 80 प्रतिशत से कम पर ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(च) **दुकानों का मध्य सत्र में व्यवस्थापन/पुनर्व्यवस्थापन**

दुकानों के मध्य सत्र में पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में वर्ष 2024-25 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों की ई-टेण्डर प्रक्रिया में एकल टेण्डर भी स्वीकार किये जायेंगे। देयताओं के निर्धारण के संबंध में यथासमय निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(छ) प्रतिभूति की धनराशि को जमा किये जाने की प्रक्रिया

वर्ष 2025-26 हेतु प्रतिभूति की धनराशि को प्रस्तर 5.11.3(क) में प्राविधानित व्यवस्थानुसार ई-बैंक गारण्टी के रूप में ही स्वीकार किया जाएगा। प्रीमियम रिटेल वेण्ड के संबंध में पूर्व में अन्य प्रकार से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रीमियम रिटेल वेण्ड के अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(ज) अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण

(1) वर्ष 2025-26 में मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) देशी मदिरा की दुकान के लिये दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस के योग की धनराशि के 1/6 भाग के समतुल्य तथा कम्पोजिट दुकान और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप्स के लिये दुकान की लाइसेंस फीस की धनराशि के अन्यून धनराशि का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) वांछित होगा तथा चयन होने की दशा में इसे मूल रूप में प्राप्त करने के उपरान्त ही अनुज्ञापन निर्गत किया जाएगा। दिनांक 01.01.2024 के पश्चात निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। यदि हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति किसी अन्य जिला के आबकारी कार्यालय में जमा है तब इसकी प्रमाणित छाया प्रति, जिसे मूल प्रति प्राप्तकर्ता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(4) वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकृत होने वाली प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के संबंध में वर्ष 2024-25 हेतु व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किये गये हैसियत प्रमाण-पत्र, वैधता समाप्त न हो तो मान्य होंगे। वैधता समाप्त होने की स्थिति में नया हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5.12 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) का नवीनीकरण

5.12.1 वर्ष 2024-25 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों के इच्छुक अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2025-26 की निर्धारित देयताओं और अन्य शर्तों एवं प्रतिबंधों से सहमति की दशा में अपने थोक अनुज्ञापनों का वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण गत वर्ष की भाँति अनुमन्य किया जाता है।

वर्ष 2024-25 में स्वीकृत थोक अनुज्ञापनों को निम्नांकित शर्तों के अधीन 2025-26 हेतु नवीनीकृत किया जाएगा:-

(1) अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

(2) वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

(3) अनुज्ञापी के विरुद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2024-25 में न पायी गयी हो।

(4) अनुज्ञापी को इस आशय का ₹.10/- के नॉनजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी देना होगा कि वह वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित समस्त देयतायें देने को तैयार है तथा उसके अनुज्ञापन के वर्तमान परिसर, स्थान की चौहद्दी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है। वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गम्भीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो। अनुज्ञापन की शर्तों का पालन न करने अथवा शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जाये तथा उसकी वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 की नवीनीकरण फीस एवं लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाये। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2024-25 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की प्रतिपूर्ति करेगा।

गतवर्ष की भांति थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु संबंधित उप आबकारी आयुक्त प्रभार तथा उसके अनुमोदन हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त संबंधित जोन को प्राधिकृत किया जाता है।

5.12.2 देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड अनुज्ञापनों के नवीनीकरण की प्रक्रिया

(1) सर्वप्रथम आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम 02 बहुप्रचलित स्थानीय समाचार पत्रों में और वेबसाइट पर सक्षिप्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर प्रदेश में व्यवस्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा और बीयर के थोक अनुज्ञापनों एवं बॉण्ड के अनुज्ञापियों से नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन मांगे जायेंगे। विज्ञप्ति में यह अंकित होगा कि उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य आवश्यक विवरण आबकारी आयुक्त कार्यालय एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(2) थोक अनुज्ञापनों अथवा बॉण्ड अनुज्ञापनों के वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापियों में से नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा, उपरोक्त वर्णित शपथ-पत्र जिसका प्रारूप **संलग्नक-3** है एवं संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अपलोड किया जायेगा तथा नवीनीकरण शुल्क की धनराशि को ऑनलाइन जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 07 कार्य दिवस के अंदर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण पर निर्णय लेते हुये संबंधित इच्छुक अनुज्ञापी को संबंधित अनुज्ञापन की वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस धनराशि 03 कार्य

दिवस के अंदर जमा करने का निर्देश दिया जायेगा। प्रतिभूति धनराशि के अंतर की धनराशि अनुज्ञापी द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति की तिथि से 15 दिन तक जमा की जा सकेगी।

प्रतिभूति का अंतर निर्धारित अवधि तक न जमा करने पर ₹ 2,000/- प्रति दिवस की दर से अर्थ दण्ड आरोपित होगा। अर्थ दण्ड सहित मात्र 15 दिवस की अवधि प्रतिभूति का अंतर जमा करने हेतु अनुमन्य होगी और इस अतिरिक्त अवधि में भी प्रतिभूति का अंतर जमा न करने पर नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने अथवा प्रतिभूति के अंतर की धनराशि अनुमन्य समयांतर्गत न जमा करने अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र का पालन न करने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 की नवीनीकरण फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

5.12.3 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) के आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस

2025-26 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी) हेतु आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹1,50,000/-(रुपया एक लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की जाती है।

5.12.4 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस

वर्ष 2025-26 हेतु थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की नवीनीकरण फीस रूपया 1,50,000/-निर्धारित की जाती है। थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रासेसिंग फीस देय नहीं होगी।

5.12.5 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की स्वीकृति

(क) वर्ष 2025-26 हेतु थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति संगत नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्ह आवेदकों के पक्ष में की जायेगी।

(ख) एफ.एल.-2बी अनुज्ञापनों पर वाइन की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

(ग) एफ.एल.-2 अनुज्ञापनों पर एल.ए.बी. की बिक्री भी अनुमन्य की जाती है।

गत वर्ष की भॉति आवेदक को वैध हैसियत प्रमाण पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। थोक अनुज्ञापन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने अथवा वापस लिये जाने की स्थिति में इस संबंध में जमा की गयी धनराशियों की वापसी के अनुरोध मान्य नहीं होंगे।

5.12.6 थोक अनुज्ञापनों (सी.एल.-2, एफ.एल.-2, एफ.एल.-2बी) की लाइसेंस फीस और प्रतिभूति

(क) थोक अनुज्ञापनों की वर्ष 2025-26 की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	थोक अनुज्ञापन का प्रकार	जिला का नाम जहाँ स्वीकृत होगा।	वर्ष 2025-26 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (₹)
1	सी.एल.-2	चित्रकूट, बागपत, शामली, कौशाम्बी, श्रावस्ती	11,00,000/-
2	सी.एल.-2	अमेठी, हाथरस, बलरामपुर	16,00,000/-
3	सी.एल.-2	अन्य जिला	29,00,000/-

4	एफ.एल.-2	वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा	37,00,000/-
5	एफ.एल.-2	गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ, देवरिया, कुशीनगर, बिजनौर, बुलन्दशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद।	29,00,000/-
6	एफ.एल.-2	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	21,00,000/-
7	एफ.एल.-2बी	कौशाम्बी, श्रावस्ती, पीलीभीत, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, बहराइच, बलरामपुर, एटा, हाथरस, कन्नौज, औरैया, रामपुर, संभल, शाहजहाँपुर शामली।	8,00,000/-
8	एफ.एल.-2बी	सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, संत रविदासनगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, संतकबीरनगर, अमेठी, हरदोई, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, बदायूँ, अमरोहा, बागपत, बांदा, जालौन, ललितपुर।	12,00,000/-
9	एफ.एल.-2बी	उपरोक्त जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिला	17,00,000/-

प्रतिभूति धनराशि लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति का अंतर ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। नवीनीकृत अनुज्ञापनों के प्रकरणों में पूर्व से जमा प्रतिभूति तब तक मान्य होगी जब तक उसकी वापसी न कर दी गयी हो। प्रत्येक अनुज्ञापी को यह विकल्प प्राप्त होगा कि वह अपने अनुज्ञापन के संबंध में प्रतिभूति के रूप में ई-बैंक गारण्टी जमा कर अपनी पुरानी प्रतिभूति (जो सावधि जमा रसीद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा नगद के रूप मे जमा हुयी हो और विभाग के पास सुरक्षित हो) की वापसी की मांग करे। ऐसी स्थिति में भुगतानकर्ता अधिकारी द्वारा तत्काल भुगतान/वापसी की कार्यवाही की जायेगी।

(ख) मध्य सत्र में थोक अनुज्ञापनों की स्वीकृति के प्रकरणों में त्रैमासिक आधार पर लाइसेंस फीस ली जायेगी। जिस त्रैमास में अनुज्ञापन स्वीकृत किया जायेगा, उस त्रैमास की भी फीस ली जायेगी।

5.12.7 सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2 बी अनुज्ञापनों से अन्य जिला की आपूर्ति हेतु अतिरिक्त लाइसेंस फीस

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये अन्य जिला के सी.एल.-2, एफ.एल.-2 एवं एफ.एल.-2बी अनुज्ञापी से आपूर्ति के संबंध में वर्ष 2020-21 में की गयी व्यवस्था को वर्ष 2025-26 हेतु यथावत रखा जाता है।

5.13 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन

5.13.1(क) ब्रांड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन/नवीनीकरण के संबंध में वर्ष 2024-25 में लागू व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है तथा वर्ष 2025-26 में किसी ब्राण्ड के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ट्रेड मार्क पंजीकरण प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) यदि किसी मदिरा ब्राण्ड के लेबिल/एम.आर.पी. के अनुमोदन के दौरान अथवा बाद में आबकारी विभाग को यह प्रतीत होता है कि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो

सकता है अथवा उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तब लेबिल/एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) यदि किसी आयातक इकाई द्वारा समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा के 1200 नग एवं समुद्रपार आयातित बीयर के 1500 नग (प्रत्येक धारिता को सम्मिलित करते हुये) तक ही बिक्री करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब ब्राण्ड पंजीकरण की फीस ₹30,000/- प्रतिब्राण्ड होगी। यह व्यवस्था प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धांत के तहत अधिकतम 02 आयातक इकाइयों को ही अनुमन्य होगी। इससे अधिक की बिक्री होने पर ब्राण्ड पंजीकरण की फीस प्रस्तर- 5.13.2 की तालिका के अनुसार ली जायेगी। इस श्रेणी में वर्ष 2024-25 में पंजीकृत ब्राण्डों का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा। यदि कालांतर में उक्त श्रेणी के किसी पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य श्रेणी में पंजीकरण कराया जाता है तब पूर्व में इस श्रेणी के पंजीकृत ब्राण्ड का सामान्य पंजीकरण शुल्क वसूल किया जायेगा।

(घ) पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु मदिरा के लेबिलो पर, सी.एस.डी. आपूर्ति के लेबिलों पर अपेक्षित लीजेण्ड में, यथा स्थान पैरामिलिट्री शब्द अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ङ) लेबिलों की संख्या के संबंध में पृथक से आदेश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे तथा इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री को मदिरा की आपूर्ति के मामलों में इन संस्थाओं के सक्षम स्तर से अनुमोदित धारिताओं में ब्राण्ड पंजीकरण/लेबिल अनुमोदित किये जा सकेंगे तथा तदनुसार प्रतिफल शुल्क का निर्धारण भी किया जायेगा। इस हेतु सक्षम स्तर का निर्धारण संबंधित विभाग से आबकारी आयुक्त द्वारा कराया जायेगा।

(छ) गत वर्ष 2024-25 में किसी पंजीकृत ब्राण्ड के लेबिल में यदि कोई परिवर्तन न होने का शपथ-पत्र आपूर्तक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसे ब्राण्ड-लेबिल के स्वत: ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान की जायेगी।

5.13.2 ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस

(1) वर्ष 2025-26 हेतु ब्राण्ड पंजीकरण एवं लेबुल अनुमोदन फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.		**मदिरा का प्रकार**	**ब्राण्ड पंजीकरण फीस (रुपये में)**	**लेबुल अनुमोदन फीस (रुपये में)**
1.		देशी मदिरा	1,00,000	1,00,000
2.	भारत निर्मित मदिरा			
	क	विदेशी मदिरा	1,25,000	1,25,000
	ख(1)	यू.पी. निर्मित बीयर (ख(2) को छोड़कर) तथा यू.पी. के बाहर निर्मित बीयर	75,000	75,000
	ख(2)	यू.पी. निर्मित बीयर (500 पेटी तक)	15,000	15,000
	ग(1)	वाइन (यू.पी.निर्मित)	1,100	1,100
	ग(2)	वाइन (यू.पी.निर्मित को छोड़कर)	10,000	10,000

	घ	एल.ए.बी.	20,000	20,000
3.	अन्य देशों से आयातित मदिरा			
	क	विदेशी मदिरा	1,50,000	लेबुल अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
	ख	बीयर	75,000	
	ग	वाइन	10,000	
	घ	एल.ए.बी.	20,000	
4.	अन्य देशों, प्रदेशों को निर्यातित मदिरा			
	क(1)	विदेशी मदिरा (क(2) को छोड़कर)	ब्राण्ड पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है	6,00,000
	क(2)	विदेशी मदिरा (सभी धारिताओं को सम्मिलित करते हुये 1200 नग तक)		5,00,000
	ख(1)	बीयर (ख(2) को छोड़कर)		6,00,000
	ख(2)	बीयर (सभी धारिताओं को सम्मिलित करते हुये 1500 नग तक)		5,00,000
	ग	वाइन		1,00,000
	घ	एल.ए.बी.		6,00,000

नोट:- (1) ब्राण्ड एवं लेबुल के नवीनीकरण हेतु भी उपरोक्तानुसार फीस ली जाएगी।

(2) 2 ख(2) तथा 4क(1) एवं ख(2) में प्रस्तर-5.13.1(ग) में उल्लिखित शपथ पत्र तथा अन्य प्राविधान भी लागू होंगे।

(2) वर्ष 2024-25 में पंजीकृत ब्राण्डों के नवीनीकरण एवं एम.आर.पी. के अनुमोदन माह 31 मई, 2025 तक ही सामान्यत: कराये जा सकेंगे। दिनांक 01 जून 2025 से 30 जून 2025 तक नवीनीकरण कराये जाने की स्थिति में 1.5 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। दिनांक 01 जुलाई 2025 के पश्चात 02 गुना नवीनीकरण फीस ली जायेगी। ऐसे ब्राण्ड जिनका नवीनीकरण उक्त व्यवस्था के अनुसार नहीं कराया गया होगा, उनका नये ब्राण्ड के रूप में पंजीकरण वर्ष 2025-26 में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) सी.एस.डी. अथवा पैरामिलिट्री की आपूर्ति हेतु ब्राण्ड पंजीकरण तभी अनुमन्य होंगे जब इन ब्राण्डों का पंजीकरण और एम.आर.पी. का अनुमोदन सिविल आपूर्ति हेतु करा लिया गया हो।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन और एल.ए.बी. के ब्राण्डों के वैरियेंट की एम.आर.पी. अनुमोदन के संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा केन्द्र शासित राज्य के नियंत्रणाधीन किसी सक्षम संस्था द्वारा अपने नियमों के अधीन किसी पंजीकृत लेबिल में कोई परिवर्तन किये जाने का निर्देश दिया जाता है तब उत्पादक द्वारा उक्त के अनुपालन में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले संशोधित लेबिल की अनुमोदन फीस नहीं ली जायेगी।

5.14 विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का आरोपण

विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की व्यवस्था गतवर्ष की भॉति वर्ष 2025-26 में निम्नवत् रखी जाती है:-

<u>विदेशी मदिरा</u>

क्र. सं.	**विदेशी मदिरा की श्रेणी**	**बोतलों की धारिता (एम.एल. में)**	**विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	इकोनामी	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
2	मीडियम	180 एम.एल. तक	10/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	20/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	30/-
3	रेगुलर	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
4	प्रीमियम	180 एम.एल. तक	20/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	30/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	50/-
5	सुपर प्रीमियम	180 एम.एल. तक	30/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	50/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	100/-
6	स्काच	180 एम.एल. तक	50/-
		180 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	100/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	150/-
7	समुद्रपार आयातित	200 एम.एल. तक	70/-
		200 एम.एल. से अधिक परन्तु 500 एम.एल. से कम	140/-
		500 एम.एल. या उससे अधिक	200/-

बीयर

क्र. सं.	बीयर की श्रेणी	बोतलों/केनों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्ट्रांग/लैगर	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		15 लीटर केग	300/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-
2	समुद्र पार आयातित	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
		10 लीटर केग	200/-
		15 लीटर केग	300/-
		20 लीटर केग	400/-
		20 लीटर से अधिक केग	600/-

वाइन/एल.ए.बी.(भारत निर्मित एवं समुद्र पार आयातित)

क्र.सं.	मदिरा का प्रकार	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वाइन	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-
2	एल.ए.बी.	500 एम.एल. तक	10/-
		500 एम.एल. से अधिक	20/-

90 एम.एल. तक की धारिता हेतु विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की दरें

क्र.सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल.में)	विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रेगुलर	90 एम.एल. तक	10/-
2	प्रीमियम	90 एम.एल. तक	10/-
3	सुपर प्रीमियम	90 एम.एल. तक	20/-
4	स्काच	90 एम.एल. तक	30/-
5	समुद्रपार आयातित	90 एम.एल. तक	40/-

आबकारी नीति के अनुसार विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी. के निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य के अतिरिक्त उपरोक्त विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित होगा तथा तदनुसार अंतिमीकृत अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।

5.15 अन्य

5.15.1(1) देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स, भांग एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स से बिक्री का समय

वर्ष 2025-26 में देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं भांग दुकानों की कार्यावधि गत वर्ष की भाँति प्रात: 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।

(क) माल में संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड की कार्यावधि वही होगी जो माल की संचालन अवधि होगी।

(ख) प्रदेश के एअरपोर्ट्स के परिसर के मुख्य भवन के अंदर संचालित प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स अनुज्ञापनों की संचालन अवधि वही होगी जो एअरपोर्ट की संचालन अवधि होगी।

(2) वर्ष 2025-26 हेतु एफ.एल.-16 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹1,00,000/- तथा एफ.एल.-17 अनुज्ञापनों का वार्षिक अनुज्ञापन शुल्क ₹ 50,000/- निर्धारित किया जाता है। नवीनीकरण की स्थिति में भी उपरोक्त दर से अनुज्ञापन शुल्क जमा कराया जाएगा।

(3) प्रदेश में विकृत सुरा अथवा विशेष विकृत सुरा की उपलब्धता न होने की स्थिति में ही इनके आयात की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जायेगी। अन्य देय नियमानुसार जमा कराये जाएगे।

(4) आसवनियों द्वारा सी हैवी शीरे/बी हैवी शीरे /केन जूस/केन सीरप आदि से उत्पादित अल्कोहल के भण्डारण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे टैंकों के आपस में परिवर्तन की अनुमति के लिये ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹6,000/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(5) एथेनाल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आयल मिक्सिंग डिपोज़ को एथेनाल की आपूर्ति के लिये परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु ₹7,500/- प्रासेसिंग फीस ली जाएगी।

(6) यू.पी.एम.एल. की आपूर्ति में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में यू.पी.एम.एल. की भराई हेतु बॉटलिंग लाइन/लाइनों के निर्धारण का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा।

(7) देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल/टेट्रा पैक के लेबिल पर दायीं ओर शीर्ष पर 1 से.मी.X1 से.मी. पर स्पष्ट दृश्यमान बोल्ड फॉट में उसकी एम.आर.पी. अंकित की जाएगी।

(8) (क) ई-लॉटरी पोर्टल पर मोबाइल नं., पैन करेक्शन इत्यादि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹2,000/- निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रख्यापन की तिथि से ही लागू होगी।

(ख) बाण्ड अनुज्ञापनों के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम परिवर्तन अथवा चौहद्दी परिवर्तन अथवा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों के साथ प्रासेसिंग फीस के रूप में ₹10,000/- का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों की चौहद्दी परिवर्तन/विक्रेता परिवर्तन के ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी।

(9) बोतल में भरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर के देश के बाहर निर्यात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- होगी।

(10) (क) बल्क स्प्रिट के आयात की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹6,000/- निर्धारित की जाती है। बल्क स्प्रिट के निर्यात(राज्य के बाहर परन्तु देश के अंदर) की अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹2,500/- होगी।

(ख) विकृत स्प्रिट के देश के बाहर से आयात के प्रकरणों में अनुमति हेतु ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्रों की प्रासेसिंग फीस ₹5,000/- होगी। इस हेतु अतिशीघ्र पोर्टल पर आवश्यक सुविधा विकसित की जायेगी।

(11) वैयक्तिक होम लाइसेंस के स्थानांतरण हेतु सुसंगत अभिलेखों सहित प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर आवश्यक जॉचोपरांत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे जिनके द्वारा आवश्यक जांच कराते हुये और संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों की संस्तुति के आलोक में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

(12) इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन के नामांतरण के संबंध में एक नामिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नामिनी का सहमति शपथ पत्र भी नवीनीकरण/ ई-लाटरी हेतु आवेदन करते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य किया जाता है जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि वरीयता क्रम में अपने वारिसों/परिवार के सदस्यों/निकट संबंधियों का नाम, आधार नम्बर, संबंध आदि का उल्लेख किया जा सकता है। मृत्यु के प्रकरणों में सर्वप्रथम नॉमिनेशन शपथ पत्र के अनुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त नामिनेशन नोटेराइज्ड शपथ पत्र एवं सहमति शपथ पत्र लाइसेंस प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसका प्रारूप **संलग्नक-4** है।

(13) यदि किसी नये ब्राण्ड-लेबिल के पंजीकरण/अनुमोदन की तिथि से एम.आर.पी. अनुमोदन हेतु 03 माह तक ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ई.डब्लू.पी./ई.सी.बी.वी. प्रस्तुत नहीं की जाती है तब ब्राण्ड-लेबिल का अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) डीनेचुरेशन फीस की दर वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹0.60/- प्रति लीटर होगी।

(15) भुगतान वापसी के प्रकरणों में कोषवाणी की वेबसाइट में प्रदर्शित सूचना के आधार पर चालानों का विभाग द्वारा किया गया सत्यापन पर्याप्त माना जायेगा। संबंधित कोषागार से चालानों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराये जाने की प्रक्रियागत अनिवार्यता नहीं होगी।

(16) अगले वर्ष के नवीनीकरण हेतु धनराशियों को जमा करने के पश्चात यदि किसी लाइसेंसी की मृत्यु हो जाती है और उसके किसी विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती द्वारा अनुज्ञापन के संचालन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है अथवा किसी वारिस/नामनिर्देशिती को इस हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तब नवीनीकरण हेतु जमा धनराशियों (प्रासेसिंग फीस को छोड़कर) विधिक वारिस को वापस कर दिया जायेगा।

(17)(क) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड के प्रकरणों में नवीनीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंसी की मृत्यु हो जाने और उसके विधिक वारिस अथवा नामनिदेशिती द्वारा प्रार्थना पत्र न दिये जाने अथवा उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दूसरे जीवित लाइसेंसी के पक्ष में वर्ष 2025-26 हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, निर्धारित तिथि तक जमा करने के प्रतिबंध के साथ दुकान का नवीनीकरण

किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर वर्ष 2024-25 हेतु जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी।

(17)(ख) पूर्व वर्षों से नवीनीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंसियों वाली दुकानों/प्रीमियम रिटेल वेण्ड का नवीनीकरण दोनों ही लाइसेंसियों के मध्य नवीनीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति न होने की दशा में नवीनीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

(18) डी.एस.-1 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹ 1,00,000 निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि 10 प्रतिशत होगी। लाइसेंस फीस कोषागार शीर्षक 0039 में निर्धारित उपशीर्षक के अंतर्गत जमा की जायेगी।

(19) आयल मिक्सिंग डिपो के मामलों में ली जाने वाली लाइसेंस फीस गतवर्ष की भॉति ₹ 0.50/- प्रति लीटर यथावत् होगी।

(20) ग्रेन आधारित आसवनी/प्लांट की एथनाल एवं ई.एन.ए. उत्पादन के अनुपात का विनिश्चय ग्रेन आसवनी हेतु गठित समिति के स्थान पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग के स्तर से किया जायेगा।

(21) प्रदेश में स्थापित आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों की प्रतिभूति केवल ई-बैंक गारण्टी के रूप में जमा की जायेगी।

(22) मदिरा/भांग की फुटकर दुकानों की वर्ष 2024-25 की चौहद्दी परिवर्तन किये बिना यदि उनके नाम परिवर्तन की आवश्यकता पायी जाती है तब इस स्थिति में जिला कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दुकान के नाम को परिवर्तित किया जा सकेगा। दुकानों की प्रास्थिति(जिससे नाम परिवर्तन हो) में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

(23) प्रदेश में मदिरा की आपूर्ति में कठिनाई के दृष्टिगत, यथावश्यकता आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश एवं देश के बाहर निर्यात की अनुमति के प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जा सकेगा।

(24) (क)यवासवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस बी-20 की वैधता एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष होगी। यदि उक्त अवधि में यवासवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता इकाई द्वारा ₹ 2,50,000(रुपया दो लाख पचास हजार मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा बी-20 की वैधता अवधि में भूमि, प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका होना चाहिये। भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। तदोपरांत यदि यवासवनी द्वारा बी-1 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो बी-20 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा।

(24)(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में यवासवनी के बी-1 की लाइसेंस फीस की दर ₹30/- के स्थान पर ₹ 40/- प्रति किलोलीटर होगी।

(25) (क) आसवनी की स्थापना हेतु स्वीकृत किये जाने वाले लाइसेंस पी.डी.33 की वैधता दो वर्ष हेतु प्रदत्त है। यदि उक्त अवधि में आसवनी स्थापित नहीं की जाती है तब उक्त अनुज्ञापन की वैधता, इकाई द्वारा ₹ 5,00,000 (रुपया पॉच लाख मात्र) जमा करने पर एक वर्ष के लिये तभी बढ़ायी जा सकेगी जब इकाई द्वारा पी.डी.-33 की वैधता अवधि में भूमि प्लांट एवं मशीनरी पर होने वाले कुल व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय किया जा चुका हो। परन्तु यह आवश्यक होगा कि भूमि पर व्यय को छोड़कर केवल प्लांट मशीनरी आदि पर कुल व्यय का 25 प्रतिशत

व्यय किया जा चुका होना चाहिये। तदोपरांत यदि आसवनी द्वारा पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त नहीं किया जाता है, तो पी.डी.-33 लाइसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) पी.डी.-33 अनुज्ञापन की प्रतिभूति धनराशि ₹ 50,00,000 (रुपया पचास लाख मात्र) निर्धारित की जाती है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 में पी.डी.-2 की लाइसेंस फीस की दर ₹25/- के स्थान पर ₹35/- प्रति किलोलीटर निर्धारित की जाती है।

(घ) नवीन पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत प्रदत्त सी.एल.बी.-1 अनुज्ञापन को अनुज्ञापन प्राप्त करने की तिथि से 01 वर्ष तक ही आरक्षित शीरा आवंटित किया जायेगा। उक्त अवधि में प्लांट मशीनरी पर कुल व्ययभार का 50 प्रतिशत व्यय हो चुके होने की स्थिति में ही अग्रेतर आरक्षित शीरा/ई.एन.ए. अधिकतम एक और वर्ष के लिये आवंटित किया जायेगा। किसी भी स्थिति मे बिना पी.डी.-2 लाइसेंस प्राप्त किये किसी नवीन आसवनी को पी.डी.-33 अनुज्ञापन निर्गत होने की तिथि से सी.एल.बी.-1 हेतु अधिकतम 2 वर्ष से अधिक अवधि हेतु आरक्षित शीरा/ई.एन.ए. आवंटित नहीं किया जायेगा। उक्त अवधि में आसवनी स्थापित न किये जाने की स्थिति में संबंधित आसवनी द्वारा प्राप्त किये गये आरक्षित शीरे के तत्समय लागू बाजार मूल्य के आधार पर वसूली आसवनी से की जायेगी।

(ङ) वर्तमान में पी.डी.-2 अनुज्ञापन धारण करने वाली किसी आसवनी के प्लांट मशीनरी के जीर्ण शीर्ण हो जाने अथवा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानकों को पूर्ण न कर पाने के कारण प्लांट से अल्कोहल का उत्पादन बंद होने की स्थिति मे आसवनी को इस आबकारी नीति के प्रख्यापन की तिथि या आसवनी बंद होने की तिथि, जो भी बाद मे हो, से मात्र एक वर्ष तक आरक्षित शीरा आवंटित किया जायेगा। यदि उक्त एक वर्ष में भी आसवनी द्वारा स्वयं के प्लांट से अल्कोहल का उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जाता है तो एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत आसवनी को आरक्षित शीरे का आवंटन रोक दिया जायेगा।

(च) किसी विदेशी मदिरा निर्माण से संबंधित आसवनी में अधिष्ठापित क्षमता का संपूर्ण उपभोग हो जाने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में मदिरा निर्माण की अनुमति आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रख्यापन की तिथि से इस प्रतिबंध के साथ आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदान की जा सकेगी कि बल्क स्प्रिट क्रय करके अधिष्ठापित क्षमता से अधिक विदेशी मदिरा की बोतल में भराई हेतु क्रय/प्रयुक्त किये गये ई.एन.ए./अन्य कोई स्प्रिट पर बाटलिंग हेतु निर्धारित फीस की दोगुनी दर से बाटलिंग फीस देय होगी। आसवनी को इस प्रकार अधिष्ठापित क्षमता से 20 प्रतिशत अधिक की सीमा तक ही स्प्रिट क्रय/प्रयुक्त किये जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा आसवनी को अपनी क्षमता विस्तार/नवीन इकाई की स्थापना आदि का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है और यह सुविधा वित्तीय वर्ष में एक बार ही प्रदान की जायेगी। यदि विशेष कारणों से किसी आसवनी द्वारा उक्त अनुमति हेतु किसी वित्तीय वर्ष में पुन: प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब निर्धारित बाटलिंग फीस की चार गुनी दर से बाटलिंग फीस देय होगी। द्वितीय अनुमति भी केवल 20 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक दी जा सकेगी। किसी भी दशा में किसी वित्तीय वर्ष में 2 बार से अधिक तथा अधिष्ठापित क्षमता से 20 प्रतिशत+20 प्रतिशत कुल 40 प्रतिशत से अधिक ऐसी अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

(26) पी.डी.-33 अनुज्ञापन के अंतर्गत प्रदत्त एफ.एल.-3/3ए और सी.एल.बी.-1/2 अनुज्ञापनों की वैधता पी.डी.-33 अनुज्ञापन की वैधता तक ही अनुमन्य होगी। विनिर्दिष्ट अवधि में आसवनी

स्थापित करने में विफल रहने पर जमा की गयी प्रतिभूति राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी और आसवनी स्थापना के उपरांत संचालन प्रारम्भ होने तक एफ.एल.-3/3ए और सी.एल.बी.-1/2 अनुज्ञापन निलम्बित रहेंगे।

(27) पी.डी.-2 अथवा बी-1 अनुज्ञापन प्राप्त इकाइयों में किसी अतिरिक्त प्लांट मशीनरी,बाटलिंग लाइन, टैंक आदि की स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति में प्रदत्त वैधता अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। विचलन की स्थिति में अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(28) फुटकर एवं थोक अनुज्ञापनों पर विक्रेताओं के अनुमोदन हेतु ₹500/- जमा करने पर नौकरनामा संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(29) फुटकर दुकानों एवं बार अनुज्ञापनों में मदिरा बिक्री की समयावधि, विशेष अवसरों पर, एक विनिश्चित अवधि तक, परिवर्तित करने का अधिकार, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग को दिया जाता है।

(30) त्रुटिपूर्ण कोषागार शीर्षक में जमा किये गये चालानों की धनराशि को सही शीर्षक में पोर्टल पर प्रविष्टि कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ ₹1,500/- का प्रासेसिंग फीस के रूप में जमा किया गया चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(31) प्रदेश में स्थापित द्राक्षासवनियों को एफ.एल.-1 अनुज्ञापन स्वीकृति की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसी द्राक्षासवनियों हेतु एफ.एल.-3 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस ₹50,000/- एवं प्रतिभूति ₹50,000/- निर्धारित की जाती है।

(32) मॉडल शॉप एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड तथा बार अनुज्ञापनों को बी.आई.ओ.-1 अथवा बी.आई.ओ.-1ए से सीधे मदिरा क्रय किया जाना अनुमन्य होगा परन्तु ऐसी आपूर्ति के मामलों में बार अनुज्ञापनों को छोड़कर थोक अनुज्ञापन का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा। बार अनुज्ञापनों के मामले में थोक तथा फुटकर अनुज्ञापनों, दोनो का मार्जिन राजकोष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(33) प्रीमियम रिटेल वेण्ड पर विक्रय हेतु अनुमन्य एसेसरीज़ में टानिक वाटर और काकटेल मिक्सर्स सम्मिलित होंगे परन्तु ऐसे नान एल्कोहलिक पेय पदार्थ अनुमन्य नहीं होगें जिनके ब्राण्ड के नाम, पैकिंग, लेबिल आदि किसी मदिरा ब्राण्ड से मिलते जुलते हों और उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। विवाद की स्थिति में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा। मॉडल शॉप पर भी उक्त एसेसरीज़ की बिक्री अनुमन्य होगी।

(34) प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा।

(35) प्रीमियम रिटेल वेण्ड हेतु प्राविधानित माल की परिभाषा में में शॉपिंग/कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित माने जायेंगे। यह प्राविधान प्रस्तर-5.5.2(5) उल्लिखित एफ.एल.-4डी दुकानों पर लागू नहीं होगा।

(36) किसी मॉडल शॉप (एफ.एल.-4ए) एवं कम्पोजिट दुकान (एफ.एल.-5डीबी) से 200 मीटर की पथिक मार्ग से दूरी में कोई नवीन प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा परन्तु पूर्व से स्वीकृत प्रीमियम रिटल वेण्ड दुकानों पर यह प्राविधान लागू नहीं होगा। यह दूरी दोनो दुकानों के मुख्य द्वार के मध्य बिन्दु से पथिक मार्ग से मापी जायेगी। नगर निगम क्षेत्रों एवं गौतमबुद्धनगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में यह दूरी 100 मीटर ही होगी।

(37) आबकारी विभाग की समस्त फुटकर दुकानें जिनके लाइसेंस प्राधिकारी जिला कलेक्टर प्राविधानित हैं, के अनुज्ञापनों पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा डिजिटल सिग्नेचर किये जायेंगे।

(38) प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुज्ञापनों हेतु परिसर का स्थानांतरण किया जाना अनुमन्य होगा परन्तु इस प्रकार नवीन परिसर हेतु अनुज्ञापन के निर्गमन का प्रकरण प्रस्तर-5.15.1(36) से आच्छादित होगा।

(39) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतलों पर लगाये जाने वाले ढक्कनों का टैम्परप्रूफ होना अनिवार्य किया जाता है।

(40) मदिरा की समस्त फुटकर दुकानों पर 02 सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया जाना अनिवार्य किया जाता है। उक्त सी.सी.टी.वी. कैमरे फुटकर दुकानों के स्वयं के खर्चे पर इस प्रकार लगाये जायेंगे जिससे दुकान के अंदर और बाहर के दृश्य कैप्चर हो सकें। सी.सी.टी.वी. बंद पाये जाने पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा। सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना एवं संचालन में जानबूझ कर की गयी लापरवाही पाये जाने की दशा में अनुज्ञापी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(41) राजस्व हित में थोक विक्रेता के मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता के मार्जिन आगणन हेतु निर्धारित एक्सेल फाइल में इस प्रकार के लॉजिक का उपयोग किया जायेगा, जिससे किसी प्रकार के राजस्व क्षति की सम्भावना न हो।

(42) आसवनी स्थापना हेतु प्रपत्र पी.डी.-32 मे आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक द्वारा ओ.ई.एम. (Original Equipment Manufacturer) से स्थापित कराये जाने वाले उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर दैनिक आधार पर उत्पादित होने वाले अल्कोहल (किलोलीटर में) की अधिकतम क्षमता की घोषणा, शपथ पत्र के माध्यम से करनी होगी। इस प्रकार घोषित दैनिक अधिकतम उत्पादन क्षमता आसवनी की स्थापना के समय स्थापित किये जा रहे उपकरणों में तकनीकी उन्नयन अथवा उत्पादन तकनीक में उन्नयन के अलावा अपरिवर्तनीय होगी एवं उपरोक्तानुसार अधिकतम दैनिक उत्पादन क्षमता व संचालन दिवसों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा अनुमन्य सीमा के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता निर्धारित करते हुये इस पर अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण किया जायेगा। आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता विस्तार हेतु लगाये जाने वाले नये उपकरणों एवं मशीनरी के आधार पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि भी उपरोक्तानुसार किया जाना अनुमन्य होगा। तकनीकी निरीक्षण के समय यदि ओ.ई.एम. तथा आसवक द्वारा मशीनरी की क्षमता के बारे में की गयी घोषणा से संबंधित शपथ पत्र में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आसवक के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी एवं ओ.ई.एम. के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी। पूर्व से स्थापित आसवनियों के लिए भी अधिष्ठापित क्षमता का निर्धारण उपरोक्तानुसार ही करते हुए अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा परन्तु यह सुविधा मात्र एक बार ही प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापन शुल्क का अंतर आसवनी संचालन के प्रारम्भ से वसूल किया जायेगा। ऐसे आवेदनों के परीक्षण हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा तकनीकी समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्रतिष्ठापरक तकनीकी संस्थान के सदस्य भी रखे जायेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आबकारी मैनुअल खण्ड-5 (तकनीकी मैनुअल) के प्राविधानों का उल्लंघन न हो। किसी भी आसवनी की पूर्व निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता में किसी भी परिस्थिति में कमी किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

5.15.2 अवशेष स्टॉक का निस्तारण (स्टॉक रोल ओवर)

वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर जिलों के विभिन्न जिला स्तरीय थोक, फुटकर एवं प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकनों और बार अनुज्ञापनों पर दिनांक 31.03.2025 को बिक्री अवधि के पश्चात अवशेष स्टाक की ब्राण्डवार, धारितावार, तीव्रतावार और पैकेजिंगवार घोषणा अनुज्ञापी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.04.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक ₹100/- के नॉनजुडीशियल नोटराइज़्ड स्टाम्प पेपर पर की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04.2025 तक आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। घोषित अवशेष स्टाक का भौतिक सत्यापन करने पर घोषित स्टाक से 1 प्रतिशत से अधिक का विचलन (जिसकी अधिकतम सीमा 1 पेटी होगी) पाये जाने पर एवं अवशेष स्टाक के निस्तारण में कोई अनियमितता पाये जाने की स्थिति में लाइसेंस निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मदिरा के अवशेष स्टाक का स्टाक रजिस्टर पृथक से बनाया जायेगा जिसका निरीक्षण/अनुश्रवण आबकारी निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। उपरोक्त अवशेष स्टाक को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर दिनांक 31.03.2025 को उपर्युक्त अनुज्ञापनों की संचालन अवधि के पश्चात इन पर उपलब्ध अवशेष मदिरा के स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया लागू होगीः-

5.15.2.1 देशी मदिरा

1. वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित समस्त देशी मदिरा की दुकानों पर दिनांक 01.04.2025 को उपलब्ध अवशेष देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. स्टाक को कब्जे में लेते हुये, उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

2. वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित देशी मदिरा के नवीनीकृत/अनवीनीकृत थोक अनुज्ञापनों सी.एल.-2, पर उपलब्ध क्यू.आर.कोड युक्त अवशेष स्टाक की वर्ष 2025-26 में निकासी अनुमन्य नहीं होगी। ऐसे स्टाक को जिला के किसी अन्य व्यवस्थित थोक अनुज्ञापन पर सुरक्षित रखते हुये इसकी नीलामी वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के अनुसार की जायेगी।

3. देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों में उपलब्ध देशी मदिरा/यू.पी.एम.एल. के 2024-25 के अवशेष स्टाक का पुनर्आसवन किये जाने का विकल्प आसवनी को प्रदत्त होगा।

5.15.2.2 विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन एवं एल.ए.बी.

1. (क) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त जिला स्तरीय थोक और बॉण्ड अनुज्ञापनों एवं एफ.एल-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1/1ए अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण नहीं हुआ है, पर उपलब्ध अवशेष स्टाक उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा।

(ख) प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, बार, क्लब एवं समस्त जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों और बॉण्ड अनुज्ञापनों, एफ.एल-1/एफ.एल.-1ए अनुज्ञापनों और बी.आई.ओ.-1/1ए अनुज्ञापनों जिनका वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण हुआ है, पर वर्ष 2023-24 के पूर्व निर्मित समस्त उपलब्ध अवशेष स्टाक को उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व लाइसेंस

प्राधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

(ग) वर्ष 2024-25 में व्यवस्थित रहीं समस्त विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप्स एवं भांग दुकानों पर उपलब्ध समस्त अवशेष स्टाक को 01.04.2025 को कब्जे में लेकर उप आबकारी आयुक्त प्रभार की देख रेख में, जिला आबकारी अधिकारी व लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा नामित उप जिला कलेक्टर की संयुक्त समिति द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुये, नष्ट कर दिया जायेगा। इस हेतु वर्ष 2024-25 के अनुज्ञापी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

2. उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकृत प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स, जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों सहित बार/क्लब अनुज्ञापनों पर उपलब्ध अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाती हैः-

(1) वर्ष 2024-25 की समाप्ति के पश्चात् अवशेष जिन ब्राण्डों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2025-26 हेतु होगा और उन ब्राण्डों पर यदि वर्ष 2025-26 में कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2026 तक किया जायेगा।

(2) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु करा लिया जाता है और उन ब्राण्डों पर यदि कुल प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय दिनांक 31.03.2026 तक किया जायेगा।

(3) जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2025-26 हेतु नहीं कराया जाता है और उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस, एम.आर.पी. उनकी वर्ष 2024-25 के लिये घोषित ई.डी.पी./ ई.बी.पी./ ई.सी.बी.वी. पर वर्ष 2025-26 के सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी तथा अवशेष स्टाक का निस्तारण दिनांक 31.03.2026 तक निम्नवत् किया जायेगाः-

(i) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस, का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. की धनराशि में कमी होती है तो उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(ii) नये सूत्र के अनुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस एवं एम.आर.पी. दोनों में वृद्धि होती है तो कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(iii) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में कमी होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि होती है, तब वर्ष 2024-25 की एम.आर.पी. पर ही बिक्री की जायेगी।

(iv) नये सूत्र के अनुसार कुल प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि कुल प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है, किन्तु एम.आर.पी. में वृद्धि नहीं होती है, तब कुल प्रतिफल फीस के अंतर की धनराशि जमा कराकर तथा अंतर की धनराशि के समतुल्य एम.आर.पी. में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर नयी एम.आर.पी. का स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

(v) यदि उक्त उप प्रस्तर-(3) से संबंधित ब्राण्ड कालांतर में पंजीकृत हो जाते हैं एवं एम.आर.पी. का अनुमोदन करा लिया जाता है तब इस प्रकार अनुमोदित नवीन एम.आर.पी. और उप प्रस्तर-(3)(i), (3)(ii), (3)(iii) एवं (3)(iv) से आच्छादित एवं आगणित एम.आर.पी. (यदि अधिक हो) के

अंतर को जमा कराते हुये नवीन एम.आर.पी. पर विक्रय की अनुमति दिनांक 31.03.2026 तक होगी।

(4) कुल प्रतिफल शुल्क के आगणन हेतु प्रतिफल शुल्क, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क एवं विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सम्मिलित किया जायेगा।

(5) जिलास्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर ऐसा स्टाक जो वर्ष 2023-24 में उत्पादित था एवं जिनका रोल-ओवर वर्ष 2024-25 हेतु हुआ होगा, का वर्ष 2025-26 हेतु रोल-ओवर अनुमन्य होगा।

5.15.3 (क) विदेशी मदिरा/बीयर उत्पादक आसवनियों/यवासवनियों के एफ.एल.-1, एफ.एल.-1ए, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-3ए और बाण्ड अनुज्ञापनों सहित बी.आई.ओ.-1 अनुज्ञापनों के अवशेष स्टाक का निस्तारण इसका ब्राण्ड-लेबिल पंजीकरण करा लिये जाने और एम.आर.पी. का अनुमोदन करा लिये जाने के पश्चात ही उपर्युक्तानुसार किया जायेगा।

(ख) एफ.एल.-2ए, एफ.एल.-9 एवं एफ.एल.-9ए अनुज्ञापनों पर भी प्रस्तर-5.15.2.2 के प्राविधान लागू होंगें।

5.15.4 अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में उपरिवर्णित स्थितियों के अतिरिक्त उत्पन्न अन्य प्रकरणों में निर्णय हेतु आबकारी आयुक्त को प्राधिकृत किया जाता है।

<u>5.16 ईज़ आफ डूइंग बिज़नेस</u>

(1) (क) प्रदेश की आसवनियों/यवासवनियों/बॉण्ड अनुज्ञापनों/ एफ.एल.-1/1ए/ को आबकारी नीति 2025-26 की घोषणा की तिथि से दिनांक 31.07.2025 तक की अवधि हेतु मदिरा/बीयर आदि के अग्रिम भण्डारण हेतु यथावश्यकता अतिरिक्त अस्थाई गोदाम परिसर ₹1,00,000/-(रुपया एक लाख मात्र) के भुगतान पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञापियों को दुकान आवंटन/नवीनीकरण के संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा गुणदोष के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

(ग) ₹3,000/- से अधिक एम.आर.पी.(प्रति बोतल) वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच एवं सिंगल माल्ट ब्राण्डों की प्रदेश में बिक्री को प्रोत्साहित करने हेतु बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस भी प्रदान किये जायेंगे। यह लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों को दिये जायेंगे जिनके पास संबंधित उत्पादकों के प्राधिकार पत्र होंगे। बी.डब्लू.एफ.एल.-2एए लाइसेंस की लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति बी.डब्लू.एफ.एल.-2ए की लाइसेंस फीस की 60 प्रतिशत के बराबर होगी। उक्त अनुज्ञापन में सभी वैरियेंट्स सहित अधिकतम कुल 10 ब्राण्डों की बिक्री ही अनुमन्य होगी।

(घ) यदि बार अनुज्ञापन हेतु आवेदन करने वाली किसी कम्पनी अथवा फर्म में प्रबंध निदेशक, निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कोई चिकित्सक सम्मिलित है तब वह आवेदक कम्पनी अथवा फर्म बार अनुज्ञापन हेतु अनर्ह नहीं होगी।

(ङ) जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों हेतु अस्थाई रूप से प्रत्येक 02 माह हेतु अतिरिक्त परिसर की स्वीकृति ₹ 10,000/- के शुल्क के साथ अनुमन्य होगी जिसकी स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के पश्चात प्रदान की जायेगी। इस सुविधा हेतु फुटकर अनुज्ञापनों को प्रत्येक 02 माह हेतु ₹ 2,000/- देना होगा जिसकी स्वीकृति जिलाधिकारी के पूर्वानुमोदन के पश्चात जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

(च) रात्रि में और अपने परिवहन पास की वैधता अवधि में जिला स्तरीय थोक अनुज्ञापनों पर पहुॅच गये पारेषणों को हर प्रकार से ठीक पाये जाने की दशा में संबंधित परिवहन पासों की वैधता बढ़ाये

जाने का अधिकार जिला आबकारी अधिकारी को होगा। इस हेतु पोर्टल पर आवश्यक सुधार किये जायेंगे। परन्तु यह वैधता उस दिवस को 12:00 बजे मध्यान्ह तक ही बढ़ायी जायेगी।

(2) फुटकर दुकानों में परस्पर मासिक एम.जी़.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण

चूँकि कम्पोजिट दुकानों पर प्रथम बार यथास्थिति बीयर अथवा एफ.एल. का एम्.जी.आर. निर्धारित किया जायेगा अत: उक्त के संबंध में वर्ष 2024-25 की मासिक एम.जी़.क्यू. अथवा निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के अंतरण की व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में इस संशोधन के साथ रखा जाता है कि कम्पोजिट दुकानों और मॉडल शॉप दुकानों के मध्य प्रत्याभूत राजस्व का अंतरण भी अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा अपने न्यूनतम निर्धारित यथास्थिति मासिक/त्रैमासिक एम.जी.आर.(एफ.एल.) और एम.जी.आर.(बीयर) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक एवं मॉडल शॉप द्वारा भी अपने न्यूनतम निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व के 30 प्रतिशत तक का अंतरण किया जाना अनुमन्य होगा। कम्पोजिट दुकानों द्वारा किये जा रहे अंतरण के आवेदन पत्र में अंतरण की प्रकृति यथा एम.जी.आर.(एफ.एल.) अथवा एम.जी.आर.(बीयर) का उल्लेख होगा और इस अंतरण को प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा तदनुसार ही विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जायेगा। परन्तु अंतरण प्राप्त करने वाली मॉडल शॉप द्वारा अपनी सुविधानुसार बीयर अथवा विदेशी मदिरा का उठान किया जा सकेगा। दो मॉडल शॉप में परस्पर होने वाले अंतरण की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी। निर्धारित मासिक/त्रैमासिक प्रत्याभूत राजस्व का अनुमन्य सीमा तक ही अंतरण अनुमन्य होगा परन्तु अंतरण प्राप्त करने की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। मॉडल शॉप से अंतरण प्राप्त करने वाली कम्पोजिट दुकान द्वारा अपनी सुविधानुसार विदेशी मदिरा अथवा बीयर का उठान किया जा सकेगा।

(3) वर्ष 2021-22 में समुद्रपार आयातित विदेशी मदिरा एवं भारत निर्मित स्काच श्रेणी की विदेशी मदिरा की ऐसी बोतलों जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹2,000/- अथवा अधिक हो, के मोनोकार्टन को ही एक सील्ड पेटी अवधारित करते हुये बोतल एवं सील्ड पेटियों हेतु निर्धारित सुरक्षा कोड चस्पा किये जाने के उपरान्त बिक्री अनुमन्य की गयी है। उक्त व्यवस्था को वर्ष 2025-26 में यथावत रखा जाता है।

(4) मदिरा के परिवहन पासों का ऑनलाइन सत्यापन मदिरा प्राप्ति साक्ष्य के रूप में पर्याप्त माना जाएगा। पासों का मैनुअल पद्धति से सत्यापन एवं वापसी की व्यवस्था समाप्त की जाती है।

(5) मदिरा/अल्कोहल की तीव्रता की माप में नवीन तकनीक का उपयोग किया जाना समय की मांग है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग की प्रयोगशालाओं में तथा आसवनियों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/ मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग किया जायेगा।

(6) बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों आदि से एक वाहन के माध्यम से किसी एक जिले के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य किये जायेंगे। मदिरा के पारेषणों से संबंधित वाहनों का अधिकतम पे-लोड परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अधिकतम पे-लोड के अनुसार होगा।

(7) बॉण्ड अनुज्ञापनों/आसवनियों/यवासवनियों/चीनी मिलों आदि हेतु विहित पंजिकाओं में भरी जाने वाली सूचनायें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिनको पुन: विभागीय पंजिकाओं में मैनुअली भरे जाने में संसाधन एवं समय का अपव्यय होता है अत: विहित पंजिकाओं को ऑनलाइन भरे जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।

(8) वर्ष 2025-26 की आपूर्ति हेतु उत्पादन प्रारम्भ किये जाने एवं पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 हेतु आपूर्ति एवं 2025-26 से संबंधित इण्डेण्टों को लगाने की कट-आफ तिथि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(9) पुलिस अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी फुटकर मदिरा/भांग दुकान अथवा थोक अनुज्ञापन का संचालन बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बंद नहीं किया जायेगा अथवा उसे सील नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित परिसर का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारी और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों को छोड़कर प्रत्येक निरीक्षण कार्यवाही की अनिवार्यत: वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

(10) विदेशी मदिरा उत्पादक आसवनियों, यवासवनियों और द्राक्षासवनियों में पर्यटकों को भ्रमण कराया जाना और स्वउत्पादित ब्राण्ड की टेस्टिंग कराया जाना अनुमन्य होगा। इस हेतु ₹50,000/- आसवनी से तथा ₹25,000/- यवासवनियों से शुल्क लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। द्राक्षासवनियों में केवल अपने उत्पाद की पर्यटकों को फुटकर बिक्री हेतु फुटकर दुकान संगत नियमावली के अंतर्गत ₹50,000/- की लाइसेंस फीस के साथ अनुमन्य है। यवासवनियों में ₹75,000/- लाइसेंस फीस पर केवल अपने उत्पाद की फुटकर बिक्री हेतु एक फुटकर दुकान का संचालन अपने परिसर के अंदर किया जाना अनुमन्य होगा। द्राक्षासवनी तथा यवासवनी में स्थापित इस फुटकर दुकान से स्वउत्पादित मदिरा की बिक्री एम.आर.पी. पर होगी किन्तु देय प्रतिफल शुल्क एवं अन्य शुल्कों के साथ थोक विक्रेता का मार्जिन भी राजकोष में जमा करना होगा। इन दुकानों को न्यूनतम प्रत्याभूत वार्षिक राजस्व के निर्धारण से मुक्त रखा जायेगा।

(11) आसवनियों के आगामी आबकारी वर्ष के निमित्त लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रतिवर्ष 28 फरवरी को या इससे पूर्व उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

(12) State of Tamil Nadu rep by Sec. & Ors Vs K Balu & Anr3 में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के अनुपालन में बार अनुज्ञापनों के प्रकरणों में किसी क्षेत्र के नगर निकाय के समतुल्य विकसित होने पर निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला बार समिति का होगा और जिला बार समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा तदनुसार आवश्यक आदेश निर्गत किया जायेगा। अन्य फुटकर दुकानों के प्रकरणों में निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला कलेक्टर **(**लाइसेंस प्राधिकारी**)** को प्रदान किया जाता है। इस हेतु लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा यथावश्यकता स्थानीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त की जा सकती है।

(13) आसवनियों द्वारा क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस., आदि की मात्रा को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के उपभोग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु अधिष्ठापित क्षमता से अतिरिक्त क्रय की गयी विशेष स्प्रिट यथा एच.बी.एस. आदि पर ₹0.50/- प्रति बल्क लीटर की विशेष अतिरिक्त लाइसेंस फीस अधिरोपित की जायेगी।"

(14) आसवनी/यवासवनी परिसर में यथावश्यकता 2 प्रवेश और निकास द्वार स्थापित किये जा सकेंगे परन्तु प्रत्येक ऐसे द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित समस्त व्यवस्थाओं का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(15) बॉण्ड अनुज्ञापनों द्वारा प्राप्त किये गये एक्साइज़ एढेसिव लेबिल्स का पैत्रिक इकाइयों तक परिवहन के विकल्पों, अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं सुरक्षात्मक प्रबन्धों आदि के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा गाइड लाइन जारी की जायेगी जिसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(16) प्रीमियम रिटेल वेण्ड के ऐसे आवेदक जो अन्य प्रदेश के निवासी हैं, को अपने प्रदेश से निर्गत सरकारी बकाया न होने से संबंधित अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसे आवेदक को उसके ऊपर कोई सरकारी बकाया न होने का ₹100/- के नॉनजुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(17) राजस्वहित में गौतमबुद्ध नगर के प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास क्षेत्रों यथा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, YEIDA एवं मण्डी समिति इत्यादि तथा प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय एवं औद्योगिक क्षेत्रों एवं मण्डी समिति द्वारा उनकी भूमि पर अनुज्ञापियों को आवश्यकतानुसार मदिरा की दुकान परमानेंट अथवा प्री फैब्रीकेटेड स्ट्रक्चर में खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जा सकेगी कि वह स्थान उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) एवं इस संबंध में निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूर्ण करता हो। इसका किराया संबंधित अर्बन बॉडी/प्राधिकरण को सीधे अनुज्ञापी से प्राप्त होगा। इस हेतु यदि संबंधित प्राधिकरण, औद्योगिक विकास क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरण को अपने बाईलाज या नियमावली में परिवर्तन की आवश्यकता हो, वह उसे सक्षम स्तर से परिवर्तित करवायेंगे।

(18) प्रदेश के विकास एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में 20,000 वर्ग मीटर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के आईटी/आई टी ई एस भूखण्डों में संस्थागत सुविधाओ के अंतर्गत अनुमन्य रेस्टोरेंट कैंटीन के साथ-साथ रेस्टोरेंट बार तथा प्रीमियम रिटेल वेण्ड की सुविधा अनुमन्य किया जाता है।

(19) निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस

निजी प्रयोग हेतु व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु वैयक्तिक होम लाइसेंस प्रदान किये जाने का प्राविधान है। उक्त व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिये वर्ष 2025-26 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस ₹ 11,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि ₹ 11,000/- निर्धारित की जाती है। प्रतिभूति धनराशि जिला आबकारी अधिकारी को प्लेज्ड ई-बैंक गारण्टी के रूप में देय होगी। वैयक्तिक होम लाइसेंस हेतु ऐसे आवेदक पात्र होंगे जो विगत 03 वर्षों से आयकर दाता हों। आवेदन पत्र के साथ विगत 03 वर्षों के आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। विगत 03 आयकर निर्धारण वर्षों में से न्यूनतम 02 वर्षों में आवेदक द्वारा न्यूनतम 20 प्रतिशत श्रेणी में आयकर का भुगतान किया गया होना चाहिये। यदि कृषि आय के कारण 20 प्रतिशत आयकर के स्लैब में आने के बावजूद किसी आवेदक पर कर की देयता नहीं बनती हो तब ऐसा आवेदक भी उक्त लाइसेंस हेतु अर्ह होगा।

(20) पेय मदिरा की पेट बोतलों के चेस्ट पर उभरे हुये अक्षरों में यू.पी.एक्साइज़ एवं वर्ष को इम्बोस किये जाने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(21) वर्ष 2025-26 में प्रत्येक पी.डी.-2 अनुज्ञापन प्राप्त आसवनी में शीरा संचय की उचित आवश्यक क्षमता का निर्धारण करते हुये तदनुसार आवश्यक शीरा संचय क्षमता हेतु अतिरिक्त टैंकों

की स्थापना कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

5.17 ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली

(क) सम्प्रति उत्पादन से लेकर फुटकर दुकानों तक मदिरा की आपूर्ति ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली के अन्तर्गत की जा रही है। फुटकर दुकानों से बिक्री को पी.ओ.एस. मशीन से स्कैन कराकर बिक्री कराये जाने तथा विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराइज्ड कर इन्टीग्रेटेड एक्साइज़ सप्लाई चेन मैनेजमैंट सिस्टम (IESCMS) गो-लाइव किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त देशी मदिरा/कम्पोजिट दुकानों तथा समस्त मॉडल शॉप, प्रीमियम रिटेल वेण्ड और बार अनुज्ञापन और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग कराया जाना तथा मदिरा की प्रत्येक फुटकर दुकान पर पी.ओ.एस.(प्वाइंट आफ सेल) मशीनों, जिनके द्वारा विक्रीत मदिरा की बोतल के क्यू.आर. कोड को स्कैन करके सूचना अपलोड की जा सकेगी, के माध्यम से ही बिक्री किये जाने की व्यवस्था लागू की जाती है।

(ख) वर्ष 2025-26 में फुटकर दुकानों से मदिरा की बिक्री पी.ओ.एस. मशीनों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। इस प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही सक्षम स्तर से की जायेगी।

(ग) प्रदेश की समस्त आसवनियों/यवासवनियों/द्राक्षासवनियों के प्रवेश/निकास द्वार/द्वारों पर ए.एन.पी.आर. कैमरों, जिनकी लाइव फीड इन्टीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेंटर लखनऊ तथा संबंधित डाटा आई.ई.एस.सी.एम.एस. पोर्टल को प्रेषित किया जायेगा, को आसवनी/यवासवनी/ द्राक्षासवनी के स्वयं के खर्चे पर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) आसवनियों/यवासवनियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले पैकिंग मैटीरियल्स का लेखा जोखा विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा। साथ ही ग्रेन आधारित आसवनियों द्वारा क्रय किये गये और प्रयोग किये गये विभिन्न प्रकार के अनाजों का लेखा जोखा भी विभागीय पोर्टल पर कैप्चर किया जायेगा।

5.18 नशे के दुष्प्रभावों एवं रिस्पांसिबिल ड्रिंकिंग के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बजट का प्राविधान

नशे के दुष्प्रभावों एवं संयमित मदिरा सेवन (Responsible Drinking) के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने एवं जागरूकता लाये जाने हेतु विशेष प्रचार अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से (1) Under Age Drinking (2) Drunken Driving (3) Responsible Consumption पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

इस हेतु प्रभावी अभियान चलाये जाने हेतु मद्यनिषेध विभाग तथा सूचना विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा।

5.19 विभाग का सुदृढ़ीकरण

उल्लेखनीय है कि राज्य आबकारी द्वारा संग्रहीत किये गये राजस्व पर किये गये व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त औसत से अत्यधिक कम है। यह व्यय प्रतिशत प्रदेश के अन्य राजस्व प्राप्तकर्ता विभागों की तुलना में भी कम है। वर्ष 2021-22 में यह व्यय 1 प्रतिशत से भी कम था तथा 2024-25 में भी 1 प्रतिशत से कम रहने की संभावनायें हैं। अतः राजस्व वर्धन हेतु विभाग को और अधिक संसाधन सुदृढ़ बनाए जाने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाएगीः-

(i) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(ii) विभाग की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में यथोचित तकनीकी योग्यता रखने वाले विश्लेषकों की यथावश्यकता राज्य सरकार की अनुमति से संगत नियमों के अनुरूप व्यवस्था की जायेगी।

(iii) विभाग की प्रयोगशालाओं, आसवनियों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित/मानकीकृत डिजिटल अल्कोहल मीटर का प्रयोग किया जायेगा।

(iv) आसवनियों में देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा बाटलिंग प्लांटों में मास फ्लो मीटर, राडार आधारित लेवल ट्रांसमीटर एवं बाटल काउण्टर पूर्व में निर्धारित मानक के अनुसार लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(v) डाटा के संकलन, संरक्षण एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित कार्यों हेतु एक डेटा एनेलिटिक्स फर्म को आबद्ध किया जायेगा।

(vi) सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त 65 वर्ष तक की आयु के अनुभवी 03 कार्मिकों को एक मुश्त मासिक मानदेय पर कंसल्टेंट के रूप में रखा जायेगा। यह धनराशि अंतिम आहरित वेतन मे से शुद्ध पेंशन(बिना राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रतिमाह होगी। इनकी नियुक्ति शासन से अनुमति प्राप्त कर की जायेगी। वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति के प्राविधानो के अंतर्गत आबद्ध किये गये परामर्शदाताओं की सेवायें यदि आबकारी आयुक्त द्वारा संतोषजनक पायी जाती हैं तब उनसे सहमति प्राप्त कर वर्ष 2025-26 हेतु उपर्युक्त प्रतिबंधों/शर्तों पर उनके आबद्धीकरण की अवधि आबकारी आयुक्त द्वारा विस्तारित की जा सकेगी।

(vii) पोर्टेबल स्कैनर्स जो बंद वाहनों की त्वरित तलाशी/स्कैनिंग हेतु उपयुक्त हों का क्रय किया जायेगा।

5.20 वर्ष 2025-26 के लिये अनुमानित राजस्व

क्र. सं.	**मद**	**वर्ष 2024-25 की आबकारी नीति में अंकित अनुमानित राजस्व (करोड़ रू. में)**	**वर्ष 2024-25 में अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू. में)**	**वर्ष 2025-26 में संभावित राजस्व वृद्धि (करोड़ रू. में)**	**वर्ष 2025-26 में कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू. में) (कालम 4+5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	**देशी मदिरा**- प्रतिफल फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	**26,000**	**26,200**	**2,800**	**29,000**
2.	**कम्पोजिट दुकान**- प्रतिफल फीस, लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियाँ	**21,750**	**22,500**	**1,100**	**23,600**
3.	**अन्य मद**- शीरे पर विनियामक शुल्क, आसवनी, ब्रिवरी की लाइसेंस फीस, आयात-निर्यात फीस, फार्मेसियों से प्राप्तियाँ एवं भांग की बिडमनी इत्यादि	**2,250**	**2,300**	**100**	**2,400**
	योग	**50,000**	**51,000**	**4,000**	**55,000**

5.21 वर्ष के मध्य में आबकारी नीति में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में

आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन किये जाने पर यदाकदा कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होतीं है। इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया

के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए गत वर्ष की भॉति वर्ष 2025-26 हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:-

"आबकारी नीति की मा. मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरान्त क्रियान्वयन व राजस्व प्राप्ति में यदाकदा आने वाली कठिनाइयों के समाधान निवारण एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त, संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव, न्याय विभाग सदस्य तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग समिति के सदस्य, संयोजक हैं, को अधिकृत किया जाता है तथा समिति की संस्तुति पर मा. आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।"

5.22 आबकारी नीति के क्रियान्वयन में संभावित जोखिम व आवश्यकतायें

(1) इस बात की आशंका रहती है कि कतिपय दुकानें (लगभग 5-10 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस पर व्यवस्थित न हो पायें। ऐसी दुकानों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा अथवा लाइसेंस फीस में तर्कसंगत कमी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। नये अनुज्ञापियों को दुकान आवंटित होने की स्थिति में पिछले कई वर्षों से दुकानों को संचालित करने वाले अनुज्ञापियों द्वारा दुकानों के परिसर खाली करने में कठिनाइयां उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः नवचयनित अनुज्ञापियों को इस संबंध में प्रशासन स्तर से सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये तस्करी एवं अभिकर की चोरी रोकने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाना आवश्यक होगा तथा इस संबंध में पुलिस विभाग का सक्रिय सहयोग एवं विभाग का सुदृढ़ीकरण अपेक्षित होगा।

6. कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित राजस्व की प्राप्ति की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत कार्ययोजना बनाकर निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सर्वसम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। उपरोक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन नियमों, अधिसूचनाओं आदि में संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम, नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन, विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उनका यथा प्रक्रिया समायन्तर्गत प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायें। यदि किन्हीं नियमों, अधिसूचनाओं आदि का संशोधन, परिवर्तन, अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी) में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रतर कार्यवाही समय से की जा सके। साथ ही उक्तानुसार वांछित संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराये जाने हेतु कृपया अपने स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर लें ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

Signed by
Dibya Prakash Giri
Date: 06-02-2025 16:07:10

(दिव्य प्रकाश गिरि)
विशेष सचिव।

संलग्नक-1

Sr. No.	Category of CL/UPML	UPML 42.8% v/v (spiced) with Caramel	UPCL 36% v/v (spiced) with Caramel	UPML 28% v/v (spiced) with Caramel	UPCL 25%v/v (Flavoured) with Food Colour	Rate per Litre for 36% v/v
1	Category	**Grain**	**Molasses**	**Grain**	**Molasses**	
2	Pack size	200ml	200ml	200ml	200ml	
3	EDP	9.75	6.64	7.79	5.56	
4	Consideration Fee	61.83	52.00	40.45	36.12	260.00
5	Wholesaler's Margin	1.01	0.85	0.66	0.59	4.25
6	Calculated interim Sale price from wholesale	72.59	59.49	48.90	42.27	
7	Retailer's Margin	13.64	11.48	8.92	7.97	57.40
8	Calculated interim MRP	86.23	70.97	57.82	50.24	
9	MRP after round off up to nearest Rs. 5	**90**	**75**	**60**	**55**	
10	Additional consideration Fee	3.77	4.03	2.18	4.76	
11	**Actual MRP**	**90.00**	**75.00**	**60.00**	**55.00**	
12	Total Consideration Fee	65.60	56.03	42.63	40.88	
13	Actual sale price from wholesale	76.36	63.52	51.08	47.03	
14	**EDP per case**	**438.75**	**298.80**	**350.55**	**250.20**	
15	**Total Margin of the retailer per pc.**	13.64	11.48	8.92	7.97	

संलग्नक-2

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के प्रीमियम रिटेल वेण्ड दुकानों के वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10/- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता**----------** पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------- निवासी ---------- दुकान-प्रीमियम रिटेल वेण्ड ----------, शॉप आई.डी.---------- जनपद---------- का वर्ष 2024-25 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त दुकान के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपनी उपरोक्त दुकान का वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपनी उक्त दुकान को वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा/नवीन प्रस्तावित चौहद्दी निर्धारित अवस्थिति में है।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त दुकान की वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता वर्तमान अनुज्ञापन को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से दिनांक 31 मार्च, 2025 तक संचालित करेगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे गंभीर अनियमितता अथवा अनुज्ञापन निरस्तीकरण की स्थिति उत्पन्न हो।

8- यह कि शपथकर्ता शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों के अनुसार माह मार्च 2025 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य नियमानुसार निकासी लेगा।

9- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि माह मार्च 2025 तक की अवधि हेतु निर्धारित कुल राजस्व के समतुल्य निकासी न लेने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति धनराशि का 15 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। प्रतिभूति की जब्ती की दशा में वर्ष 2024-25 हेतु आवश्यक प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को भली भॉति समझ लिया है। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा। वह वर्ष 2024-25 की शेष अवधि में तथा वर्ष 2025-26 में फुटकर दुकान के व्यवस्थापन की संगत नियमावली का पालन करेगा और नियमावली के किसी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने पर उसका अनुज्ञापन निरस्त कर दिया जाये।

11- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि/ कुल निर्धारित राजस्व और इसके मासिक विभाजन आदि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

12- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटि रहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 12 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता----------

संलग्नक-3

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के थोक अनुज्ञापन-सी.एल.-2/एफ.एल.-2/एफ.एल.-2बी के वर्ष 2025-26 के लिए नवीनीकरण हेतु शपथ-पत्र का प्रारूप

(रूपये 10/- के नानजुडीशियल नोटेराइज्ड स्टैम्प पेपर पर दिया जायेगा)

1- यह कि शपथकर्ता---------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------- निवासी ---------- थोक अनुज्ञापन-सी0एल0-2/एफ0एल0-2/एफ0एल0-2बी, अनुज्ञापन संख्या ---------- जनपद---------- का वर्ष 2024-25 हेतु अनुज्ञापी है।

2- उक्त थोक अनुज्ञापन के लिये शपथकर्ता आवश्यक सभी अर्हतायें रखता है।

3- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त अनुज्ञापन का वर्ष 2025-26 हेतु नवीनीकरण कराना चाहता है तथा अपने उक्त अनुज्ञापन को वर्ष 2024-25 हेतु अनुमोदित चौहद्दी पर संचालित करेगा।

4- यह कि शपथकर्ता ने वैध हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर से निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

5- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयतायें बेबाक हैं।

6- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन की वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित है।

7- यह कि शपथकर्ता के उपरोक्त अनुज्ञापन के विरूद्ध कोई गम्भीर अनियमितता वर्ष 2024-25 में नहीं पायी गयी है।

8- यह कि शपथकर्ता अवगत है कि अनुज्ञापन की शर्तो का पालन न करने अथवा इस शपथ पत्र में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की दशा में उसका नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी वर्ष 2024-25 की प्रतिभूति का 50 प्रतिशत एवं वर्ष 2025-26 की नवीनीकरण फीस व लाइसेंस फीस राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपरोक्तानुसार जब्त की गयी प्रतिभूति की वह प्रतिपूर्ति करेगा।

9- यह कि शपथकर्ता ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 एवं संबंधित नियमों एवं आदेशों तथा आबकारी नीति वर्ष 2025-26 को भली भॉति समझ लिया है जिसका वह पालन करेगा। शपथकर्ता आबकारी विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का पालन करेगा।

10- यह कि शपथकर्ता ने वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि की जानकारी प्राप्त कर ली है तथा वह उपरोक्त के संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों का पालन करेगा।

11- यह कि शपथकर्ता ने अपने बैंक खाते का त्रुटि रहित विवरण पोर्टल पर भर दिया है और भविष्य में उसे होने वाले समस्त भुगतान, यदि कोई हों, को उक्त बैंक खाते में ही प्राप्त करने पर सहमत है।

उपरोक्त क्रमांक-1 से 11 तक के बिन्दुओं में दी गयी सूचनायें सत्य हैं।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ----------

संलग्नक-4

आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के प्रस्तर-5.15.1(12) के अनुसार इच्छुक फुटकर और थोक अनुज्ञापी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नामिनेशन शपथ पत्र।

(प्रत्येक लाइसेंस हेतु पृथक-पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा)

समक्ष.....

1- यह कि शपथ कर्ता/कर्ती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
निवासी.....जनपद.....मोबाइल नं.....
आधार नं.....पैन नं..... वर्ष 2025-26 हेतु निम्नांकित फुटकर दुकान/थोक अनुज्ञापन का/की अनुज्ञापी/अनुज्ञापिनी/आवेदक हैः-

1. दुकान का नाम और प्रकार.....शॉप आई.डी.....
2. थोक अनुज्ञापन का नाम.....लाइसेंस संख्या.....
3. जनपद का नाम.....

2- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपने उक्त अनुज्ञापन में नये अनुज्ञापी का नाम अंकित किये जाने हेतु आबकारी नीति 2024-25 के प्रस्तर-5.15.1(12) में यथा प्राविधानित नामिनेशन शपथ पत्र प्रस्तुत करने का/की इच्छुक है।

3- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती स्वयं की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अपने उक्त अनुज्ञापन में नये अनुज्ञापी का नाम अंकित किये जाने हेतु निम्नांकित व्यक्तियों जो मेरे वारिस/परिवार के सदस्य/निकट संबंधी हैं, को वरीयता क्रम में नामनिर्देशित करता/करती हैः-

क्र.सं.-	नामित व्यक्ति का नाम व विवरण(पिता/पति/पत्नी के सहित पता, आधार नं., मोबाइल नं. आदि)	शपथकर्ता/शपथकर्ती से संबंध

4- यह उपर्युक्त नामनिर्देशितीकरण शपथकर्ता/शपथकर्ती अपने पूरे होशोहवास में प्रस्तुत कर रहा/रही है।

5- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती द्वारा क्रमांक-1 से 4 तक प्रस्तुत की गयी उपरोक्त सूचना उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ----------

नामिनी का सहमति शपथ पत्र

समक्ष.....

1- यह कि शपथ कर्ता/कर्ती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी.....जनपद..... .....मोबाइल नं..... आधार नं.....पैन नं..... वर्ष 2025-26 हेतु निम्नांकित फुटकर दुकान/थोक अनुज्ञापन के अनुज्ञापी/आवेदक श्री .....पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी.....जनपद.....मोबाइल नं..... आधार नं.....पैन नं..... का निकट संबंधी है और अनुज्ञापी/आवेदक श्री..... का रिश्ते में .....लगता है। शपथकर्ता की जन्मतिथि..... है।

1. दुकान का नाम और प्रकार.....शॉप आई.डी.....
2. थोक अनुज्ञापन का नाम.....लाइसेंस संख्या.....
3. जनपद का नाम.....

2- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती को उक्त अनुज्ञापन के संचालन हेतु नामिनी बनाये जाने हेतु उसके .....श्री ..... उपरोक्त द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी में एक नामिनेशन शपथ पत्र दिनांक..... प्रस्तुत किया गया है जिसकी पूर्ण जानकारी शपथकर्ता को है।

3- यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती उक्त नामिनेशन शपथ पत्र के अनुसार भविष्य में उपरोक्त दुकान का संचालन करने हेतु अपनी बिना किसी शर्त सहमति व्यक्त करता है।

4- यह कि यदि भविष्य में शपथकर्ता द्वारा उक्त दुकान को संचालित करने की स्थिति बनती है तब वह उक्त दुकान के संचालन से संबंधित समस्त अधिनियमों/नियमों/आदेशों/निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेगा और समस्त नियमानुसार देय धनराशियों को जमा करेगाा ।

5- यह कि शपथकर्ता उपर्युक्त सहमति अपने पूरे होशोहवास में प्रस्तुत कर रहा/रही है।

6-यह कि शपथकर्ता/शपथकर्ती द्वारा क्रमांक-1 से 5 तक प्रस्तुत की गयी उपरोक्त सूचना उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता ----------